इस्लाम में महिला अधिकार

(एक संवादात्मक विश्लेषण)

लेखक

सय्यद सनाउल्लाह काज़मी

हाफ़िज़, फ़ाज़िल व मुफ़्ती (देवबंद)

एम.ए.-इस्लामिक स्टडीज़ (जामिया हमदर्द, दिल्ली)

(सैदपुर कलाँ, ज़िला मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश)

विषय सूची

प्रस्तावना

स्त्री मानव समाज की वह बुनियाद है जिसके बिना सभ्यता का कोई भी क्षेत्र पूर्ण नहीं हो सकता। इतिहास के विभिन्न कालों में स्त्री के स्थान और उसके अधिकारों के बारे में परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत किए गए। कहीं उसे हीन समझा गया, कहीं मात्र सुख-भोग का साधन माना गया, तो कहीं उसकी व्यक्तित्व को स्वतंत्रता के नाम पर दिशाहीन कर दिया गया। लेकिन इस्लाम ने स्त्री को वह स्थान प्रदान किया जो न केवल प्रकृति के अनुकूल है बल्कि न्याय पर आधारित भी है।

इस्लाम ने स्त्री को सम्मान, गरिमा, सुरक्षा और समानता के सिद्धांतों के अंतर्गत जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया। वह माँ बनकर सबसे अधिक सम्मान की अधिकारी ठहरी, बेटी बनकर रहमत का कारण घोषित की गई, पत्नी बनकर प्रेम और साथ निभाने की हक़दार बनी, और बहन बनकर स्नेह की प्रतीक समझी गई। इस्लाम ने स्त्री को विरासत में हिस्सा दिया, निकाह में अधिकार प्रदान किया, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उसके किरदार को स्वीकार किया, और उसे कानूनी व शरीअती हैसियत प्रदान की।

लेकिन आज भी बहुत से लोग, विशेष रूप से गैर-मुस्लिम वर्गों में, इस्लाम की स्त्रियों के अधिकारों से संबंधित शिक्षाओं को गलतफ़हमी की दृष्टि से देखते हैं। इन गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि इस्लाम का वास्तविक संदेश आम किया जाए, वह संदेश जो न्याय और सत्य पर आधारित है, न कि वह जो गलत व्याख्याओं और पक्षपात में खो चुका है।

जब मैंने स्त्रियों के अधिकारों पर लिखने का इरादा किया, तो सबसे पहले यही सोचा कि इस विषय को किस शैली में प्रस्तुत किया जाए ताकि वह अधिक से अधिक पाठकों तक पहुँचे और आसानी से समझ में आए। शोध और अकादमिक लेखों के रूप में लिखने से कभी-कभी विषय शुष्क और जटिल प्रतीत होता है, और उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। इसलिए मैंने संवादात्मक शैली अपनाने को प्राथमिकता दी, क्योंकि यह एक ऐसी अभिव्यक्ति शैली है जिसमें पाठक स्वयं को वार्तालाप का हिस्सा महसूस करता है और प्रश्नोत्तर के माध्यम से विषय को अधिक बेहतर तरीके से समझ सकता है।

मुझे हमेशा से प्लेटो की संवादात्मक शैली में रुचि रही है, जिसमें वे अपने पात्रों के माध्यम से दार्शनिक और सामाजिक विषयों को बड़ी कुशलता से चर्चा के अंतर्गत लाते हैं। इसी शैली को

ध्यान में रखते हुए मैंने भी दो पात्रों की रचना की: एक गैर-मुस्लिम लड़की, सिमरन, और एक मुस्लिम लड़की, आमना।

सिमरन एक गैर-मुस्लिम होने के नाते वे सभी प्रश्न करती है जो सामान्यतः इस्लाम से अपरिचित लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं। वह इस्लाम के स्त्रियों के अधिकारों से संबंधित आदेशों पर आलोचनात्मक और शोधपरक शैली में प्रश्न उठाती है, जबकि आमना एक जागरूक मुस्लिम लड़की के रूप में उन प्रश्नों के तर्कपूर्ण उत्तर देती है। इस संवाद का उद्देश्य किसी पर आलोचना करना या किसी दूसरे धर्म को गलत सिद्ध करना नहीं, बल्कि इस्लाम के वास्तविक संदेश को स्पष्ट करना है, ताकि गलतफ़हमियाँ दूर हों और पाठक स्वयं निर्णय कर सके कि इस्लाम ने स्त्री को क्या स्थान दिया है।

मैंने विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श के बाद 27 महत्वपूर्ण शीर्षकों का चयन किया और उन पर संवादात्मक शैली में विस्तृत चर्चा की है। प्रत्येक विषय को उसके सामाजिक, आर्थिक, शरीअती और नैतिक पहलुओं से उजागर करने का प्रयास किया गया है, ताकि इस्लाम की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जा सके। बहुत से विषय देखने में ऐसे प्रतीत होंगे कि उनमें पुनरावृत्ति है, लेकिन प्रश्नों से अनुमान होगा कि इन दोनों विषयों में पुनरावृत्ति नहीं है बल्कि प्रत्येक विषय अपने पहलू के अनुसार दूसरे से भिन्न है। बहरहाल, प्रयास यही किया गया है कि उनमें जो उत्तर दिए जाएँ वे सामान्य समझ में आने वाले हों, क्योंकि जब तर्क अधिक दिए जाते हैं तो लेख सामान्य बोधगम्य नहीं रह जाता। मेरी कोशिश रही है कि मैं आलोचना और तुलना से बचते हुए इस्लाम के स्त्रियों से संबंधित आदेशों को सकारात्मक और शोधपरक शैली में प्रस्तुत करूँ। मैंने विद्वत्तापूर्ण जटिलताओं से दूर रहते हुए सामान्य और सरल भाषा का प्रयोग किया है ताकि यह पुस्तक प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हो।

यह पुस्तक केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि गैर-मुस्लिम पाठकों के लिए भी एक विचार-आमंत्रण है, ताकि वे इस्लाम में स्त्री के वास्तविक स्थान को समझ सकें। यदि ये संवाद किसी के मन में मौजूद शंकाओं को दूर करने और इस्लाम की सुंदरता को समझने में सहायक सिद्ध हों, तो मैं इसे अपनी मेहनत की सफलता समझूँगा।

सय्यद सनाउल्लाह काज़मी

पहला संवाद

दृश्य

एक शांत कैफ़े में, दो लड़कियाँ, आमना और सिमरन, बैठकर चाय पी रही हैं। इस कैफ़े में ये दोनों पहली बार एक-दूसरे से मुलाक़ात कर रही हैं, और सिमरन ने आमना से इस्लाम के बारे में कई सवाल करने का फ़ैसला किया है। दोनों के बीच एक दोस्ताना बातचीत शुरू होती है।

सिमरन:
"आमना, मुझे यह बात समझने में मुश्किल होती है कि इस्लाम में औरत का क्या स्थान है। हमने हमेशा सुना है कि इस्लाम में औरतों को सीमित रखा गया है, उनको इज़्ज़त भी नहीं मिलती। क्या यह सच है?"

आमना:
(मुस्कुराते हुए) "सिमरन, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी परेशानी इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग इस्लाम को ग़लत तरीके से समझते हैं। इस्लाम में औरत को जो स्थान दिया गया है, वह दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं है। क़ुरआन में अल्लाह तआला ने औरतों की इज़्ज़त और सम्मान का हुक्म दिया है।"

सिमरन:
"क्या मतलब? किस तरह?"

आमना:
"देखो, इस्लाम में औरत का स्थान बहुत ऊँचा है। **अल्लाह तआला ने क़ुरआन में सूरह अन-निसा (4:1) में फ़रमाया:**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ।

"ऐ लोगो! अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं।"

यहाँ औरत और मर्द दोनों को बराबर का स्थान दिया गया है।"

सिमरन:

"तो क्या इस्लाम में औरत का कोई ख़ास अधिकार या इज़्ज़त है?"

आमना:

"जी हाँ, इस्लाम ने औरत को न सिर्फ़ इज़्ज़त दी, बल्कि उसके तमाम अधिकारों की सुरक्षा की। औरत को विरासत, शिक्षा, शादी में अधिकार, और सामाजिक ज़िम्मेदारियों में भागीदारी का हक़ दिया। **नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:**

"خَيرُكُمْ خَيرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيرُكُمْ لِأَهْلِي"

(सुनन इब्ने माजा: 1977, जामे तिर्मिज़ी: 3895)।

"तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घरवालों (बीवी-बच्चों) के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घरवालों के लिए सबसे बेहतर हूँ।"

यानी इस्लाम में औरत को सम्मान की नज़र से देखा गया है।"

सिमरन:

"लेकिन हमने यह भी सुना है कि औरतों को घर में बंद करके रखा जाता है और उनकी आज़ादी सीमित होती है।"

आमना:

"सिमरन, यह समझना ज़रूरी है कि इस्लाम में पर्दे का उद्देश्य औरत की सुरक्षा और इज़्ज़त का ख़याल रखना है, न कि उसकी आज़ादी को सीमित करना। पर्दा औरत को उसकी प्राकृतिक इज़्ज़त और सुरक्षित स्थान देता है। **अल्लाह तआला ने सूरह अन-नूर (24:31) में फ़रमाया:**

'وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ'।

"मुस्लिम औरतों से कहो कि वे भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पवित्रता में फ़र्क़ न आने दें और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करें।"

यानी औरत को अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे घर में क़ैद कर दिया जाए।"

सिमरन:

"तो इस्लाम में औरत की इज़्ज़त और स्थान वास्तव में क्या है?"

आमना:

"इस्लाम में औरत को एक इंसान की हैसियत से पूरा सम्मान दिया गया है। न सिर्फ़ वह माँ की शक्ल में अपने क़दमों तले जन्नत लिए हुए है, बल्कि बीवी, बेटी और बहन के रूप में भी उसका सम्मान किया जाता है। कुरआन में कई स्थानों पर अल्लाह तआला ने औरतों की अहमियत और इज़्ज़त को स्पष्ट किया है, जैसे कि **कुरआन में सूरह अत-तौबा (9:71) में फ़रमाया:**

'وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ'।

"मुस्लिम मर्द और औरतें एक-दूसरे के मददगार हैं।"

सिमरन:

"यह वाक़ई बहुत दिलचस्प है, आमना। मैं हमेशा यही सोचती थी कि इस्लाम औरतों को ज़ुल्म का शिकार बनाता है, लेकिन तुम्हारे जवाब ने मेरी सोच को बदल दिया।"

आमना:

(मुस्कुराते हुए) "यही तो है सिमरन! इस्लाम हमेशा सच्चाई और इंसाफ़ की बात करता है। अगर इसकी वास्तविक शिक्षाओं को समझा जाए, तो हर बात स्पष्ट हो जाती है।"

दूसरा संवाद

दृश्य

एक खूबसूरत बाग़ में दो दोस्त आमना और सिमरन बैठे हैं। आमना, एक शिक्षित मुस्लिम लड़की, सिमरन के साथ इस्लाम के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत कर रही है। सिमरन पर्दे के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती है।

सिमरन:
"आमना, मैं हमेशा यह सुनती हूँ कि इस्लाम में औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यह क्यों ज़रूरी है। क्या पर्दा वास्तव में इतनी अहमियत रखता है?"

आमना:
(नर्मी से मुस्कुराते हुए) "सिमरन, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझ सकती हूँ कि इस सवाल का जवाब पाने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि पर्दे का उद्देश्य क्या है और उसकी वास्तविकता क्या है।"

सिमरन:
"हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि पर्दे का उद्देश्य क्या है। क्या यह सिर्फ़ औरतों को सीमित करने के लिए है?"

आमना:
"बिलकुल नहीं, सिमरन। पर्दा सिर्फ़ औरतों को सीमित करने का हुक्म नहीं है। दरअसल, पर्दे का उद्देश्य औरतों और मर्दों की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना है। क़ुरआन में अल्लाह तआला ने सूरह अन-नूर (24:31) में फ़रमाया:

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِہِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَہُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَہُنَّ اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْہَا۔

"और मोमिन औरतों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पवित्रता की रक्षा करें, और अपनी ज़ीनत को प्रकट न करें, मगर जो स्वयं प्रकट हो।"

सिमरन:
"लेकिन, इसका मतलब तो यह हुआ कि औरतों को उनकी आज़ादी से महरूम किया जा रहा है?"

आमना:
"नहीं, सिमरन, पर्दा किसी भी तरह आज़ादी से महरूमी नहीं है। यह औरतों की इज़्ज़त और गरिमा की रक्षा करने का एक तरीका है। पर्दे का उद्देश्य औरत को उसकी शारीरिक हैसियत से अधिक मानसिक और आध्यात्मिक स्थान देना है। जब एक औरत पर्दा करती है, तो वह अपनी इज़्ज़त और गरिमा को सुरक्षित रखती है, और उसे सिर्फ़ उसकी प्राकृतिक विशेषताओं के अनुसार जाना जाता है, न कि उसकी शारीरिक बनावट के आधार पर।"

सिमरन:
"लेकिन यह किस तरह मददगार साबित होता है?"

आमना:
"पर्दे की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि औरतों और मर्दों को एक सुरक्षित वातावरण में रहने का अवसर मिले। जब औरत पर्दा करती है, तो वह अपने शरीर को किसी भी अनावश्यक ध्यान से बचाती है। इससे मर्दों को भी अपने जज़्बात पर क़ाबू रखने में मदद मिलती है और सामाजिक स्तर पर एक संतुलन स्थापित होता है। इस्लाम में पर्दे का हुक्म किसी की आज़ादी को सीमित करने के लिए नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक आदेश है जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है।"

सिमरन:
"यह बात तो ठीक है, लेकिन क्या पर्दा सिर्फ़ शारीरिक ही ज़रूरी है या इसमें और भी पहलू हैं?"

आमना:
"पर्दे का अर्थ सिर्फ़ शारीरिक पोशाक तक सीमित नहीं है। यह एक समग्र नैतिक व्यवहार की ओर संकेत करता है। पर्दे का मतलब है कि औरत और मर्द दोनों अपने नैतिक दायरों में रहकर एक-दूसरे के साथ व्यवहार करें। इसका मतलब है कि औरतों और मर्दों को एक-दूसरे के साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए, और यह कि दोनों को अपनी ज़बान, नज़र और व्यवहार को सीमाओं में रखना चाहिए।"

सिमरन:
"तो क्या मर्दों के लिए भी कुछ विशेष निर्देश हैं?"

आमना:
"जी हाँ, क़ुरआन में मर्दों को भी नज़र नीची रखने और अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह तआला ने सूरह अन-नूर (24:30) में फ़रमाया:

قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ يَغُضُّوۡا مِنۡ اَبۡصَارِهِمۡ وَ يَحۡفَظُوۡا فُرُوۡجَهُمۡ‌ؕ

"मोमिनों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें।"
यह भी पर्दे का हिस्सा है।"

सिमरन:
"यानी, पर्दा सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं है बल्कि मर्दों के लिए भी है। यह एक संतुलन है जिसका उद्देश्य दोनों की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना है।"

आमना:
"बिलकुल! इस्लाम में पर्दे के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं, वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति की इज़्ज़त सुरक्षित रहे। यह सिर्फ़ एक धार्मिक आदेश नहीं है, बल्कि एक नैतिक सिद्धांत है जो इंसानों की भलाई के लिए है।"

सिमरन:
"यह वास्तव में एक अलग दृष्टिकोण है, आमना। मैं हमेशा यह सोचती थी कि पर्दा सिर्फ़ औरतों को दबाने के लिए है, लेकिन तुम्हारी बातों से समझ आया कि इसका उद्देश्य औरतों की इज़्ज़त की रक्षा और मर्दों के लिए भी एक नियम है।"

आमना:
"मैं खुश हूँ कि तुम्हें समझने में मदद मिली। पर्दा सिर्फ़ एक बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि यह हमारे नैतिक और सामाजिक व्यवहार का प्रतिबिंब है। इसका उद्देश्य इंसानियत को सुरक्षित रखना है, और इसमें किसी की आज़ादी का हनन नहीं होता।"

तीसरा संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कैफ़े में बैठकर बात कर रही हैं। सिमरन, आमना से इस्लाम में औरतों के अधिकारों के बारे में सवाल पूछना चाहती है। वह विशेष रूप से विरासत में औरत के अधिकार के बारे में जानना चाहती है।

सिमरन:

"आमना, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैंने हमेशा सुना है कि इस्लाम में औरत को विरासत में मर्द से कम हिस्सा मिलता है, यह क्यों? क्या यह इंसाफ़ के ख़िलाफ़ नहीं है?"

आमना:

(मुस्कुराते हुए) "सिमरन, मैं समझ सकती हूँ कि यह सवाल तुम्हारे मन में क्यों आया होगा, क्योंकि इस विषय पर अक्सर ग़लतफ़हमियाँ फैलाई जाती हैं। लेकिन वास्तव में इस्लाम में औरतों को विरासत में वह अधिकार दिया गया है जो इससे पहले कभी किसी धर्म या सभ्यता में नहीं दिया गया।"

सिमरन:

"तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो कि इस्लाम औरतों को विरासत में अधिकार देता है?"

आमना:

"जी हाँ! इस्लाम में औरतों को विरासत में हिस्सा दिया गया है, और क़ुरआन में अल्लाह तआला ने साफ़ तौर पर इसका उल्लेख किया है। उदाहरण के तौर पर, **सूरह अन-निसा (4:7) में फ़रमाया:**

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿۷﴾

"माँ-बाप और रिश्तेदारों की छोड़ी हुई संपत्ति में मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। (जो माल माँ-बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें) चाहे वह माल कम हो या ज़्यादा, उसमें निर्धारित हिस्सा रखा गया है।"

सिमरन:

"लेकिन, जब मैं यह सुनती हूँ कि औरतों को मर्दों के मुक़ाबले में कम हिस्सा मिलता है तो मुझे लगता है कि यह अन्यायपूर्ण है।"

आमना:

"यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सिमरन, और इसका जवाब देने के लिए हमें इस्लामी शिक्षाओं को बेहतर तरीक़े से समझना होगा। इस्लाम में मर्द और औरत की ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग हैं। मर्द पर परिवार की आर्थिक ज़िम्मेदारी होती है, वह अपनी बीवी, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों का पालन-पोषण करता है। इसलिए, मर्दों को विरासत में अधिक हिस्सा दिया जाता है ताकि वे इस ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकें।"

सिमरन:

"तो क्या औरत पर आर्थिक ज़िम्मेदारी नहीं होती?"

आमना:

"नहीं, सिमरन। इस्लाम ने औरत पर कोई आर्थिक ज़िम्मेदारी नहीं डाली। उसका माल, उसकी जायदाद, उसका पैसा, सब कुछ उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होता है, और उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। मर्द उसके पैसों या जायदाद पर किसी तरह का कब्ज़ा नहीं कर सकता। औरत को विरासत में जो हिस्सा दिया जाता है, वह उसका पूरा अधिकार होता है, और वह उस माल पर पूरी तरह अधिकार रखती है।"

सिमरन:

"तो फिर यह जो अंतर है, वह सिर्फ़ इस वजह से है कि मर्द को अधिक ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं?"

आमना:

"बिलकुल! यह अंतर मर्द और औरत की अलग-अलग ज़िम्मेदारियों के आधार पर है। मर्द को परिवार के पालन-पोषण का ज़िम्मेदार ठहराया गया है, और औरत को इससे मुक्त रखा गया है ताकि वह अपने माल और जीवन के फ़ैसलों में पूरी आज़ादी महसूस करे। इस तरह, मर्द का अधिक हिस्सा उनकी ज़िम्मेदारियों के हिसाब से समझा जा सकता है, लेकिन औरत को उसकी व्यक्तिगत संपत्ति का पूरा अधिकार है।"

सिमरन:

"यह समझना काफ़ी दिलचस्प है। इसका मतलब तो यह हुआ कि विरासत में कम हिस्सा मिलना औरतों के साथ ज़ुल्म नहीं है, बल्कि यह उनकी आज़ादी और सुरक्षा के लिए है।"

आमना:

"बिलकुल! यह औरतों के हक़ में है, क्योंकि उन्हें अपने माल में पूरा अधिकार प्राप्त है, और मर्द को उसके अधिक हिस्से का उद्देश्य उसकी आर्थिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करना होता है। इसके अलावा, यह व्यवस्था बहुत से सामाजिक पहलुओं को भी बेहतर बनाती है।"

सिमरन:

"यह बहुत दिलचस्प बात है, आमना। मैं हमेशा यह समझती थी कि इस्लाम में औरतों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे यह समझ आया कि इस्लाम में विरासत में औरतों को एक ऐसा अधिकार दिया गया है जो किसी भी दूसरे धर्म या व्यवस्था में नहीं मिलता।"

आमना:

"मैं खुश हूँ कि तुम्हें बात समझ आई। इस्लाम में औरत के अधिकार उसकी इज़्ज़त, आज़ादी और सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, और इन अधिकारों का उद्देश्य उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना है।"

चौथा संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक पार्क में चलते हुए बात कर रही हैं। सिमरन को निकाह के संबंध में इस्लाम की शिक्षाओं और औरत के अधिकारों के बारे में सवाल हैं, और आमना उसे समझाने की कोशिश कर रही है।

सिमरन:
"आमना, मैंने हमेशा सुना है कि निकाह में औरत को बहुत कम अधिकार मिलते हैं, और कई बार तो मर्द उस पर ज़ुल्म भी करते हैं। क्या इस्लाम में औरत को निकाह में कोई अधिकार प्राप्त हैं?"

आमना:
(नर्मी से मुस्कुराते हुए) "सिमरन, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं खुश हूँ कि तुमने यह सवाल उठाया। दरअसल, इस्लाम में निकाह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें दोनों पक्षों को अपने अधिकारों और ज़िम्मेदारियों का पूरा ज्ञान होता है। औरत को निकाह में पूरे अधिकार दिए गए हैं, और इस्लाम ने उन अधिकारों की रक्षा की है।"

सिमरन:
"मतलब? किस तरह के अधिकार?"

आमना:
"सबसे पहले, निकाह का मूल सिद्धांत यह है कि औरत की रज़ामंदी ज़रूरी है। इस्लाम में निकाह के लिए लड़की की अनुमति आवश्यक है, और उसे ज़बरदस्ती निकाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तुम यह समझो कि इस्लाम में निकाह एक अनुबंध है, और दोनों पक्षों के लिए आवश्यक है कि वे एक-दूसरे से सहमति प्राप्त करें।"

सिमरन:
"यानी औरत की मर्ज़ी के बिना निकाह नहीं हो सकता?"

आमना:
"बिलकुल! इस्लाम में किसी भी औरत को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह करने के लिए मजबूर

नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की के माता-पिता उसे निकाह के लिए मजबूर करें, तो वह उस निकाह को रद्द कर सकती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि

جاءت فتاة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي ﷺ الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.
(सुनन इब्ने माजा: 1874)।

"एक लड़की नबी करीम ﷺकी सेवा में उपस्थित हुई और अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! मेरे पिता ने मेरा निकाह अपने भतीजे से केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कर दिया है। नबी ﷺने उसे अधिकार दिया (कि वह चाहे तो इस निकाह को बनाए रखे या समाप्त कर दे)। तब उस लड़की ने कहा: मैंने अपने पिता के निर्णय को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं चाहती थी कि औरतों को मालूम हो जाए कि माता-पिता को निकाह के मामले में कोई ज़बरदस्ती का अधिकार नहीं है।"

सिमरन:
"तो फिर इस्लाम में निकाह के बाद औरत के क्या अधिकार हैं?"

आमना:
"इस्लाम में निकाह के बाद औरत को कई अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहले, उसे अपने शौहर से मेहर (हक़ मेहर) मिलता है, जो सिर्फ़ उसका अधिकार होता है। मेहर एक आर्थिक अधिकार है जो शौहर अपनी बीवी को निकाह के समय देता है। यह माल शौहर का नहीं होता, बल्कि केवल औरत का अधिकार होता है, और वह उसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकती है।"

सिमरन:
"और क्या औरत को निकाह में कोई और अधिकार भी मिलते हैं?"

आमना:
"जी हाँ! निकाह के बाद औरत को आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। शौहर पर यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह अपनी बीवी के लिए घर और जीवन की आवश्यकताएँ उपलब्ध कराए। इसके अलावा, निकाह में औरत को इज़्ज़त, सम्मान और प्रेम की अपेक्षा भी होती है। नबी करीम ﷺने फ़रमाया:

"خَيرُكُمْ خَيرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيرُكُمْ لِأَهْلِي"
(सुनन इब्ने माजा: 1977, जामे तिर्मिज़ी: 3895)।

"तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घरवालों (बीवी-बच्चों) के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घरवालों के लिए सबसे बेहतर हूँ।"

सिमरन:

"यह बहुत अच्छा है! लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मर्द को औरत पर अधिकार होता है, क्या यह सच है?"

आमना:

"यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के अधिकारों का सम्मान किया गया है, और शौहर के कुछ अधिकार अपनी बीवी पर होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी बीवी पर ज़ुल्म या अत्याचार करे। बल्कि, शौहर पर यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार करे और उसकी इज़्ज़त व सम्मान करे। अगर कहीं किसी शौहर ने अपनी बीवी को तकलीफ़ दी, तो उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ होगा।"

सिमरन:

"तो इस्लाम में औरत की आज़ादी और अधिकारों को सीमित नहीं किया गया?"

आमना:

"बिलकुल नहीं! इस्लाम में औरत को निकाह में अपने अधिकार प्राप्त हैं, और वह उन अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र है। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, सुरक्षा और आज़ादी दी है, और इसके साथ-साथ मर्द को भी अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार और सम्मान करने की हिदायत दी है।"

सिमरन:

"ये बातें सुनकर मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ नया समझ आया। मैं हमेशा सोचती थी कि इस्लाम में औरतों की आज़ादी सीमित है, मगर अब मुझे मालूम हुआ कि इस्लाम में औरतों के लिए बहुत अधिक इज़्ज़त और अधिकार हैं।"

आमना:

"मैं खुश हूँ कि तुम्हें बात समझ आई। इस्लाम में निकाह के सिद्धांत औरत की इज़्ज़त, उसकी आज़ादी और उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हैं।"

पाँचवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कैफ़े में बैठकर चाय पी रही हैं, और सिमरन आमना से तलाक़ के विषय पर बात करने की इच्छा रखती है।

सिमरन:

"आमना, एक सवाल है, तलाक़ के बारे में। मैंने सुना है कि इस्लाम में तलाक़ औरत के हक़ में नहीं होती, और कुछ लोग कहते हैं कि तलाक़ का अधिकार सिर्फ़ मर्द के पास होता है। क्या यह सच है?"

आमना:

(मुस्कुराते हुए) "सिमरन, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं खुश हूँ कि तुमने यह सवाल उठाया। तलाक़ एक गंभीर मामला है, और इस्लाम में इसका एक विशेष सिद्धांत है।"

सिमरन:

"मतलब?"

आमना:

"देखो, तलाक़ का अधिकार इस्लाम में मर्द के पास है, लेकिन यह पूरी तरह औरत के अधिकारों के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम में तलाक़ को एक अंतिम कदम माना गया है, और इसे आख़िरी समाधान के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।"

सिमरन:

"लेकिन औरत को इसमें कोई अधिकार नहीं?"

आमना:

"दरअसल, औरत को भी तलाक़ के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं। एक तो यह कि अगर किसी औरत का शौहर उस पर ज़ुल्म करे या अगर दोनों के बीच संबंधों में गंभीर समस्याएँ हों, तो औरत 'ख़ुलअ' का अधिकार रखती है। ख़ुलअ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औरत अपने शौहर से तलाक़ ले सकती है, और इसके बदले में वह कुछ माल या मेहर वापस कर सकती है।"

सिमरन:

"यानी, औरत अगर चाहे तो तलाक़ ले सकती है?"

आमना:

"जी हाँ! अगर वह अपने शौहर से संबंध समाप्त करना चाहती है, और वह उसे सहन नहीं कर सकती, तो वह ख़ुलअ के माध्यम से तलाक़ ले सकती है। लेकिन यह तलाक़ का एक विशेष तरीका है और इसका निर्णय अदालत में होता है।"

सिमरन:

"मतलब मर्द पर तलाक़ का पूरा अधिकार नहीं है?"

आमना:

"नहीं! मर्द को तलाक़ देने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार हमेशा किसी अच्छे उद्देश्य और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत होता है। और मर्द पर यह ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी बीवी के अधिकारों की रक्षा करे। अगर वह बीवी को तलाक़ देने की नीयत रखता है, तो उसे उसके साथ अच्छे व्यवहार के साथ मामला करना चाहिए।"

सिमरन:

"तो तलाक़ के समय औरत को कितने अधिकार मिलते हैं?"

आमना:

"इस्लाम में तलाक़ के समय औरत को मेहर की अदायगी का अधिकार मिलता है, जो कि उसका आर्थिक अधिकार होता है। इसके अलावा, तलाक़ के बाद भी औरत की पूरी देखभाल और रहने की ज़िम्मेदारी शौहर की होती है, जब तक कि इद्दत की अवधि पूरी न हो जाए। और इद्दत के दौरान, शौहर पर यह आवश्यक होता है कि वह बीवी के साथ किसी प्रकार का ज़ुल्म न करे।"

सिमरन:

"यह तो बहुत अच्छा है! तो क्या तलाक़ के बाद औरत की ज़िंदगी पूरी तरह समाप्त हो जाती है?"

आमना:

"बिलकुल नहीं! इस्लाम में तलाक़ के बाद औरत की ज़िंदगी का अंत नहीं होता। उसे दूसरी शादी करने का अधिकार प्राप्त होता है, और वह दोबारा अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। तलाक़ के बाद भी इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, सम्मान और आज़ादी देने की व्यवस्था की है।"

सिमरन:
"यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हूँ! मैं हमेशा समझती थी कि इस्लाम में तलाक़ औरत के लिए एक बंद दरवाज़ा है, लेकिन अब मुझे पता चला कि इस्लाम में तलाक़ के बारे में एक न्यायपूर्ण और सही तरीका मौजूद है।"

आमना:
"हाँ, इस्लाम में तलाक़ का तरीका इस बात को सुनिश्चित बनाता है कि औरत के अधिकारों की रक्षा हो, और उसकी ज़िंदगी में ज़ुल्म न हो। इसका उद्देश्य सिर्फ़ इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा हो, और अगर तलाक़ का निर्णय हो, तो वह न्याय के अनुसार हो।"

छठा संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठकर बातचीत कर रही हैं। सिमरन ने आमना से औरत की शिक्षा के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं।

सिमरन:
"आमना, एक सवाल है। मैंने सुना है कि कुछ मुस्लिम देशों में औरतों की शिक्षा पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है? इस्लाम में औरत की शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है?"

आमना:
"यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सिमरन। सबसे पहले यह समझो कि इस्लाम में औरतों की शिक्षा पर कोई पाबंदी नहीं है। क़ुरआन और हदीस में औरत की शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है।"

सिमरन:
"लेकिन तुमने कहा कि कुछ मुस्लिम देशों में औरतों की शिक्षा पर पाबंदियाँ हैं? यह कैसे संभव है?"

आमना:
"हाँ, अफ़सोस की बात है कि कुछ देशों में औरतों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित रखा जाता है, लेकिन यह इस्लाम का सिद्धांत नहीं है। रसूलुल्लाह ﷺने फ़रमाया:
"طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"
(सुनन इब्ने माजा: 224)।

"इल्म हासिल करना हर मुसलमान (मर्द और औरत) पर फ़र्ज़ है।"

(आमना क़ुरआन की आयत की तिलावत करती है)

"अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
(अनुवाद: और कहो, मेरे रब! मेरे इल्म में वृद्धि कर।)
(अल-क़ुरआन 20:114)"

इस आयत में सामान्य आदेश है कि अल्लाह से ज्ञान की प्रार्थना करो, चाहे मर्द हो या औरत।

सिमरन:
"तो इस्लाम में औरतों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है?"

आमना:
"जी हाँ, बिलकुल! हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि महान ज्ञान और बुद्धिमत्ता की धनी थीं, उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल औरतों को बल्कि मर्दों को भी बहुत सारे धार्मिक और दुनियावी ज्ञान सिखाए।"

सिमरन:
"यह तो बहुत दिलचस्प है! लेकिन क्या औरतों की शिक्षा का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है?"

आमना:
"जी हाँ! जब औरतें शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो न केवल उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में सुधार आता है, बल्कि पूरे सामाजिक ढाँचे पर भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षित औरतें अपने परिवारों की परवरिश करती हैं, और उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचता है। जब महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।"

सिमरन:
"यानी, औरत की शिक्षा पूरी कम्युनिटी के लिए लाभदायक है?"

आमना:
"बिलकुल! एक शिक्षित माँ अपनी संतान की बेहतर परवरिश करती है, और एक शिक्षित महिला समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस्लाम में औरतों की शिक्षा का महत्व इस बात में भी है कि वे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं।"

सिमरन:
"यानी, औरतों की शिक्षा से पूरे समाज का लाभ होता है?"

आमना:
"जी हाँ! और यह सिर्फ़ इस्लाम की शिक्षाओं का ही प्रभाव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में यह सत्य साबित हो चुका है कि जहाँ औरतें शिक्षा प्राप्त करती हैं, वहाँ सामाजिक समस्याओं जैसे ग़रीबी,

बीमारी और अशिक्षा में कमी आती है। औरतों की शिक्षा से पूरे समाज के विकास में तेज़ी आती है।"

सिमरन:

"वास्तव में! यह तो बहुत शक्तिशाली बात है। तो क्या इस्लाम में औरत की शिक्षा सिर्फ़ दीनियत तक सीमित है, या दुनियावी शिक्षा भी ज़रूरी है?"

आमना:

"इस्लाम ने ज्ञान को दीन और दुनिया के खानों में विभाजित नहीं किया, बल्कि ज्ञान को नाफ़ेअ (लाभदायक) और ग़ैर-नाफ़ेअ (बेफ़ायदा) के पैमाने पर परखा है। जो ज्ञान इंसान और समाज के लिए लाभदायक हो, वह मूल्यवान है, चाहे वह शरीअत से संबंधित हो या दुनियावी मामलों से। इसी लिए नबी करीम ﷺने यह दुआ सिखाई:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

(सुनन इब्ने माजा: 3843)

"ऐ अल्लाह! मैं तुझसे लाभदायक ज्ञान का सवाल करता हूँ और बेफ़ायदा ज्ञान से तेरी पनाह माँगता हूँ।"

इसी वजह से इस्लाम हर उस ज्ञान की हौसला-अफ़ज़ाई करता है जो व्यक्ति और समाज की भलाई का कारण हो, चाहे वह फ़िक़्ह, हदीस, तफ़्सीर हो या चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र या टेक्नोलॉजी।

सिमरन:

"वाह! तो इस्लाम में औरत को शिक्षा प्राप्त करने के सभी अवसर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि औरतों का शिक्षा प्राप्त करना सिर्फ़ उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है।"

आमना:

"बिलकुल! और इसमें कोई शक नहीं कि जब औरतें शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो न केवल उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है, बल्कि पूरा समाज एक बेहतर स्थान तक पहुँचता है।"

सातवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए बातचीत कर रही हैं। सिमरन ने आमना से औरत के काम करने के अधिकार और उसके सामाजिक प्रभावों के बारे में सवाल किया है।

सिमरन:

"आमना, मुझे यह समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने सुना है कि कुछ मुस्लिम समाजों में औरतों को काम करने की आज़ादी नहीं दी जाती। क्या इस्लाम में औरत को काम करने का अधिकार दिया गया है?"

आमना:

"यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सिमरन। सबसे पहले यह समझो कि इस्लाम में औरत को काम करने का पूरा अधिकार दिया गया है, बशर्ते कि वह काम शरीअत के सिद्धांतों के अनुसार हो।"

सिमरन:

"लेकिन कुछ जगहों पर तो औरतों को घर की चारदीवारी में क़ैद कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि उनका काम सिर्फ़ घर के कामकाज तक सीमित होना चाहिए। क्या यह इस्लामी दृष्टिकोण है?"

आमना:

"नहीं, यह किसी विशेष सामाजिक रिवाज या परंपराओं का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह इस्लाम का सिद्धांत नहीं है। इस्लाम में औरत को उसके सभी अधिकार दिए गए हैं, और वह अपनी इच्छा से काम करने का अधिकार रखती है। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल हमारे सामने है। वे न केवल एक महान पत्नी थीं, बल्कि एक सफल व्यवसायी महिला भी थीं।"

सिमरन:

"यह तो बहुत दिलचस्प बात है! तो क्या इस्लाम में औरत को अपने काम के बारे में निर्णय करने का अधिकार भी दिया गया है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम में औरत को अपनी ज़िंदगी के सभी फ़ैसले करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें काम करने का निर्णय भी शामिल है। वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकती है, पेशा चुन सकती है, और समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। इस बात की कोई पाबंदी नहीं है कि औरत को सिर्फ़ घर के कामों तक सीमित कर दिया जाए।"

सिमरन:
"तो फिर औरतों के काम करने का क्या प्रभाव होता है? क्या यह सामाजिक रूप से लाभदायक है?"

आमना:
"बेशक! जब औरतें काम करती हैं, तो न केवल उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी बेहतर होती है, बल्कि पूरे समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। औरतें जब अर्थव्यवस्था में भाग लेती हैं, तो वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करती हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मज़बूत होती है, और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और परवरिश मिलती है।"

सिमरन:
"लेकिन क्या कोई विशेष काम है जो औरतों को सिर्फ़ इसलिए करना चाहिए कि वे सामाजिक रूप से लाभदायक हों?"

आमना:
"इस्लाम में औरत को वे सभी काम करने का अधिकार दिया गया है जो शरीअत के अनुसार जायज़ हों और सामाजिक रूप से लाभदायक हों। यानी वह ऐसी नौकरियाँ कर सकती है जो नैतिक सिद्धांतों और इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप हों। उदाहरण के तौर पर, वह शिक्षा दे सकती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सकती है, शोध कर सकती है, या कोई व्यवसाय शुरू कर सकती है।"

सिमरन:
"तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि औरत और मर्द दोनों को सामाजिक ज़िम्मेदारियों में बराबर का भागीदार होना चाहिए?"

आमना:
"बिलकुल! इस्लाम में मर्दों और औरतों को अलग-अलग भूमिकाएँ सौंपी गई हैं, लेकिन दोनों को समाज में सक्रिय और समान स्थान दिया गया है। औरत का काम करने का अधिकार न केवल उसकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि सामाजिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।"

सिमरन:
"लेकिन अगर औरत काम कर रही है तो फिर घरेलू ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाती है? क्या उसे घर के कामों में भी हिस्सा लेना पड़ता है?"

आमना:
"इस्लाम में यह कहा गया है कि औरत का काम करने का अधिकार उसकी इच्छा पर निर्भर है। अगर वह घर के काम भी करना चाहती है तो यह उसका अधिकार है, और अगर वह बाहर काम करती है तो भी उसकी ज़िम्मेदारियों में संतुलन आवश्यक है। शौहर और बीवी दोनों को एक-दूसरे के कामों में सहयोगी बनना चाहिए ताकि परिवार की ज़िंदगी खुशगवार हो।"

सिमरन:
"तो इसका मतलब है कि इस्लाम में औरत के काम करने की आज़ादी को किसी भी तरह सीमित नहीं किया गया?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम में औरत को हर वह आज़ादी दी गई है जो उसकी व्यक्तित्व और उसके अधिकारों की रक्षा करती हो। वह न केवल अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले स्वयं कर सकती है, बल्कि समाज में काम करके वह न सिर्फ़ अपने परिवार की स्थिति बेहतर करती है बल्कि पूरे समाज की बेहतरी के लिए भी काम करती है।"

आठवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं। आमना और सिमरन के बीच औरत और मर्द की बराबरी के विषय पर बातचीत हो रही है। सिमरन ने आमना से इस विषय पर सवाल किया।

सिमरन:
"आमना, मुझे हमेशा यह सवाल रहता है कि इस्लाम में औरत और मर्द के बीच बराबरी का क्या दृष्टिकोण है? कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम में औरत को मर्द से कमतर समझा जाता है, क्या यह सही है?"

आमना:
"सिमरन, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर ग़लतफ़हमियों का कारण बनता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस्लाम में औरत और मर्द दोनों को सम्मान और आदर दिया गया है, मगर दोनों की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, और यही अंतर उनके अधिकारों और भूमिकाओं की प्रकृति को स्पष्ट करता है।"

सिमरन:
"तो क्या इस्लाम में औरत और मर्द के अधिकार बराबर हैं?"

आमना:
"इस्लाम में औरत और मर्द दोनों को अधिकारों में बराबरी दी गई है, लेकिन उनकी भूमिकाओं की प्रकृति अलग है। अल्लाह तआला ने क़ुरआन में फ़रमाया है:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ

'औरतें तुम्हारा वस्त्र हैं और तुम औरतों का वस्त्र हो।'
(सूरह अल-बक़रा: 187)

इसका अर्थ है कि औरत और मर्द एक-दूसरे के लिए पूरक हैं, और दोनों की अहमियत बराबर है।"

सिमरन:
"मगर फिर इस्लाम में औरतों को कुछ अधिकार मर्दों से कम क्यों दिए गए हैं?"

आमना:
"यह सवाल बहुत आम है। वास्तविकता यह है कि इस्लाम में मर्द और औरत के अधिकार अलग हैं, लेकिन यह अंतर उनकी ज़िम्मेदारियों के अनुसार है। उदाहरण के तौर पर, मर्द को परिवार के पालन-पोषण का ज़िम्मेदार बनाया गया है, और उसके लिए आर्थिक रूप से अधिक ज़िम्मेदारी है, जबकि औरत की मूल ज़िम्मेदारी बच्चों की परवरिश और घरेलू मामलों पर केंद्रित की गई है।"

सिमरन:
"तो इसका मतलब है कि औरत को कमतर नहीं समझा गया?"

आमना:
"बिलकुल नहीं! इस्लाम में औरत और मर्द को अलग लेकिन समान सम्मान दिया गया है। औरत को उसके विशेष किरदार की बुनियाद पर अधिकार दिए गए हैं, और वह उन अधिकारों में किसी भी रूप में कमतर नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी हमारे सामने मिसाल है, जो न केवल एक महान पत्नी थीं, बल्कि एक बेहतरीन विदुषी और मुहद्दिसा भी थीं।"

सिमरन:
"लेकिन क्या इस्लाम में औरतों को भी वही सम्मान और स्थान प्राप्त है जो मर्दों को?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम में औरत और मर्द दोनों को समान सम्मान दिया गया है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

اِنَّ الْمُسْلِمِیْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِیْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِیْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِیْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِیْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِیْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِیْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِیْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِیْنَ اللّٰهَ كَثِیْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۳۵﴾

‘निस्संदेह मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, आज्ञाकारी मर्द और आज्ञाकारी औरतें, सत्यवादी मर्द और सत्यवादी औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, विनम्र मर्द और विनम्र औरतें, दान करने वाले मर्द और दान करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी पवित्रता की रक्षा करने वाले मर्द और

रक्षा करने वाली औरतें, और अल्लाह को अधिक याद करने वाले मर्द और औरतें – इन सब के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और बड़ा अज्र तैयार कर रखा है।'
(सूरह अल-अहज़ाब: 35)

यह आयत हमें बताती है कि अल्लाह के यहाँ मर्द और औरत दोनों बराबर हैं जब बात ईमान और कर्म की हो।"

सिमरन:
"यह तो बहुत दिलचस्प है। फिर क्या इस्लाम में औरत को वे सभी अधिकार दिए गए हैं जो एक मर्द को प्राप्त हैं?"

आमना:
"जी हाँ, इस्लाम ने औरत को बहुत से अधिकार दिए हैं जैसे शिक्षा का अधिकार, विरासत में हिस्सा, आर्थिक स्वायत्तता, काम करने का अधिकार और बहुत कुछ। ये सभी अधिकार इस बात को दर्शाते हैं कि इस्लाम में औरत और मर्द दोनों को बराबरी के आधार पर सम्मान दिया गया है।"

सिमरन:
"यानी इस्लाम में औरत और मर्द की बराबरी का अर्थ सिर्फ़ आर्थिक या शारीरिक स्तर पर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर भी है?"

आमना:
"बिलकुल! इस्लाम में औरत और मर्द दोनों की आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति में बराबर की अहमियत है। दोनों को अल्लाह की रज़ा प्राप्त करने के लिए अपने कर्म बेहतर बनाने की आज़ादी दी गई है, और दोनों के लिए समान इनाम का वादा किया गया है।"

सिमरन:
"यह बात वास्तव में बहुत स्पष्ट हो गई है। तो इस्लाम में औरत और मर्द का एक-दूसरे के साथ सहयोग किस तरह किया जाना चाहिए?"

आमना:
"इस्लाम में औरत और मर्द दोनों को एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना और एक-दूसरे के साथ सहयोग करना आवश्यक है। दोनों का उद्देश्य एक-दूसरे की पूर्ति और बेहतरी के लिए है, ताकि समाज में संतुलन और सामंजस्य बना रहे।"

सिमरन:
"यानी इस्लाम में मर्द और औरत दोनों की ज़िम्मेदारियाँ और अधिकार अलग हैं, लेकिन दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है?"

आमना:
"बिलकुल! इस्लाम में मर्द और औरत दोनों की अहमियत और सम्मान बराबर है, लेकिन उनके किरदार अलग हैं ताकि हर व्यक्ति अपने परिवार और सामाजिक जीवन में बेहतरीन तरीक़े से अपनी भूमिका निभा सके।"

नौवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक सुंदर पार्क में टहल रही हैं। दोनों के बीच औरत की सामाजिक स्थिति और उसकी इज़्ज़त की सुरक्षा पर बातचीत हो रही है।

सिमरन:
"आमना, मैंने सुना है कि इस्लाम में औरतों को बहुत सम्मान दिया गया है, लेकिन क्या इस्लाम में औरत का सामाजिक स्थान और उसकी इज़्ज़त की सुरक्षा वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है?"

आमना:
"जी हाँ, सिमरन! इस्लाम में औरत का सामाजिक स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल, इस्लाम औरत को न केवल उसकी व्यक्तिगत हैसियत में सम्मान देता है बल्कि उसके अधिकारों और स्थान की सुरक्षा भी करता है। यह केवल इस्लामी शिक्षाएँ ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी औरत की इज़्ज़त और स्थान का ध्यान रखा गया है।"

सिमरन:
"लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर औरतों की इज़्ज़त का ध्यान नहीं रखा जाता, विशेष रूप से कुछ संस्कृतियों में जहाँ औरत को कमतर समझा जाता है। क्या इस्लाम में ऐसा कुछ है?"

आमना:
"सच है, सिमरन! इस्लाम में औरत की इज़्ज़त और स्थान को बहुत ऊँचा किया गया है। क़ुरआन और हदीस में बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि औरतों को सम्मान दिया जाए। उदाहरण के तौर पर, क़ुरआन में अल्लाह तआला ने आदेश दिया है:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا
(सूरह अन-निसा: 19)

"और उनके साथ भले तरीके से जीवन व्यतीत करो। फिर यदि वे तुम्हें नापसंद हों, तो संभव है कि तुम किसी चीज़ को बुरा जानो, और अल्लाह उसमें बहुत भलाई पैदा कर दे।"

सिमरन:
"तो क्या इस्लाम में औरत को उसकी सामाजिक स्थिति के अनुसार किसी हद तक सुरक्षा प्रदान की गई है?"

आमना:
"बिलकुल! इस्लाम ने औरत के सामाजिक संरक्षण को सुनिश्चित बनाने के लिए उसके अधिकारों की रक्षा की है। ये अधिकार उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से लेकर परिवार की संरचना तक के सभी पहलुओं पर आधारित हैं। एक मुस्लिम औरत की इज़्ज़त और स्थान की गारंटी केवल क़ानून नहीं, बल्कि इस्लामी समाज में उसके मूल अधिकारों का सम्मान भी है।"

सिमरन:
"यह तो बहुत अच्छी बात है! क्या इस्लाम में औरतों को समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति है?"

आमना:
"जी हाँ, इस्लाम में औरतों के लिए बहुत महत्व है और उन्हें सामाजिक रूप से सक्रिय होने की अनुमति दी गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने न केवल दीन की शिक्षा दी बल्कि विभिन्न महत्वपूर्ण मसलों पर फ़तवा भी दिया। इस्लाम ने औरतों के लिए शिक्षा, काम करने और सामाजिक सेवाओं में भाग लेने के सभी दरवाज़े खोले हैं।"

सिमरन:
"तो क्या इसका मतलब है कि इस्लाम में औरत को एक पूर्ण व्यक्ति की हैसियत से स्वीकार किया गया है?"

आमना:
"बिलकुल! इस्लाम में औरत की सामाजिक स्थिति न केवल उसकी व्यक्तिगत अहमियत पर आधारित है, बल्कि उसे एक व्यक्ति की हैसियत से स्वीकार किया गया है। इस्लाम में औरत की इज़्ज़त की सुरक्षा उसके अधिकारों की रक्षा के साथ जुड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर, औरत

का शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण हैं।"

सिमरन:
"तो फिर हमें इस बात को कैसे समझना चाहिए कि इस्लाम में औरत का सम्मान और स्थान मर्द के मुक़ाबले में कैसा है?"

आमना:
"इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के स्थान में अंतर नहीं है, लेकिन उनकी भूमिकाएँ अलग हैं। इस्लाम में यह आवश्यक है कि दोनों का सम्मान किया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इस्लाम की शिक्षाएँ हमें सिखाती हैं कि हर व्यक्ति का सम्मान उसकी व्यक्तिगत हैसियत और चरित्र की बुनियाद पर किया जाए, न कि लिंग के आधार पर।"

सिमरन:
"यानी, इस्लाम में औरत की इज़्ज़त की सुरक्षा उसकी व्यक्तित्व, चरित्र और नैतिकता की बुनियाद पर है, न कि केवल उसके लिंग पर?"

आमना:
"बिलकुल! इस्लाम में औरत की इज़्ज़त की सुरक्षा उसके व्यक्तित्व और उसके चरित्र की बुनियाद पर की गई है। इसमें कोई अंतर नहीं कि वह औरत है या मर्द, हर व्यक्ति का स्थान उसकी व्यक्तिगत अच्छाइयों और अल्लाह की रज़ा पर निर्भर है।"

सिमरन:
"यह बात बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। तो क्या इस्लाम में औरत की इज़्ज़त की सुरक्षा सिर्फ़ विशेष स्थितियों में है, या यह सामाजिक रूप से हर जगह मौजूद है?"

आमना:
"यह हर जगह है, सिमरन! इस्लाम की शिक्षाओं ने औरत की इज़्ज़त को एक सामाजिक सिद्धांत बना दिया है। एक मुस्लिम समाज में औरत के अधिकारों का सम्मान हर स्तर पर किया जाता है, चाहे वह घर का स्तर हो या सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर।"

सिमरन:
"यह तो बहुत प्रभावशाली है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम में औरत की इज़्ज़त और स्थान को पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया है, और उसकी सुरक्षा आवश्यक है।"

आमना:

"बिलकुल, सिमरन! इस्लाम ने औरत को न केवल उसके अधिकार दिए बल्कि उसकी इज़्ज़त और स्थान की सुरक्षा भी की है, ताकि वह एक सक्रिय और सम्मानित व्यक्ति की हैसियत से समाज में अपनी भूमिका निभा सके।"

दसवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कैफ़े में बैठे हैं, जहाँ आमना सिमरन को इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार औरत की नेतृत्व क्षमता के बारे में बता रही है।

सिमरन:

"आमना, मैंने सुना है कि इस्लाम में औरतों को नेतृत्व की अनुमति नहीं है। क्या यह सच है? और क्या इस्लाम में औरत का कोई राजनीतिक या मार्गदर्शक भूमिका हो सकती है?"

आमना:

"यह बिल्कुल ग़लतफ़हमी है, सिमरन! इस्लाम में औरतों के लिए नेतृत्व के सभी दरवाज़े खुले हैं। दरअसल, इस्लाम ने औरतों को न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक स्तर पर भी मार्गदर्शन की भूमिका के लिए स्वतंत्र किया है।"

सिमरन:

"लेकिन मैंने अक्सर सुना है कि इस्लाम में औरत को मस्जिद की इमामत या राज्य स्तर पर नेतृत्व के लिए नहीं रखा जाता। क्या इसका कोई विशेष कारण है?"

आमना:

"इस्लाम में औरतों के लिए नेतृत्व के संबंध में कुछ विशेष सीमाएँ हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें नेतृत्व के किसी भी दूसरे क्षेत्र में भाग लेने से रोका गया है। सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि इस्लामी नेतृत्व का दृष्टिकोण किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताओं और चरित्र पर निर्भर करता है, न कि केवल उसके लिंग पर।"

सिमरन:

"तो क्या इस्लाम में औरतें राज्य के मामलों या राजनीतिक नेतृत्व में भाग नहीं ले सकतीं?"

आमना:

"इस्लामी इतिहास में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ औरतों ने न केवल घरेलू बल्कि राज्य के मामलों में भी नेतृत्व की भूमिका निभाई। उदाहरण के तौर पर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने जंग-ए-जमल में महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई।"

सिमरन:
"यह बहुत दिलचस्प है! तो फिर औरतों को नेतृत्व के दूसरे क्षेत्रों में भाग लेने के लिए इस्लामी दृष्टिकोण क्या है?"

आमना:
"इस्लाम में औरत के लिए नेतृत्व की अनुमति है, लेकिन कुछ परिस्थितियों और मानकों के आधार पर कुछ मामलों में मर्दों को नेतृत्व दिया जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि औरतों को महत्व नहीं दिया जाता या उनके लिए नेतृत्व के दरवाज़े बंद हैं। औरत की मार्गदर्शन क्षमता को इस्लाम में सराहा गया है, और औरत को सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भाग लेने की अनुमति दी गई है।"

सिमरन:
"तो फिर, क्या इस्लाम में औरत को बौद्धिक या शैक्षिक क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने की अनुमति है?"

आमना:
"जी हाँ, बिलकुल! इस्लामी शिक्षाओं में औरत को ज्ञान प्राप्त करने और फिर उस ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने की पूरी स्वतंत्रता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ज्ञान के मामले में इतनी अहमियत प्राप्त थी कि वे ज्ञान के विषय में बड़े-बड़े सहाबा की उस्ताद थीं। इसी तरह, बहुत सारी महिलाओं ने दीन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान किया है और सामाजिक सुधारों का रास्ता दिखाया है।"

सिमरन:
"तो इसका मतलब यह है कि औरतों के लिए नेतृत्व के रास्ते हर क्षेत्र में खुले हैं, और इस्लाम ने उनके लिए किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका को बंद नहीं किया?"

आमना:
"बिलकुल, सिमरन! इस्लाम में औरतों को मार्गदर्शन की पूरी अनुमति है, बशर्ते कि वे अपने चरित्र में मज़बूत, नैतिक और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझकर कार्य करें। इस्लाम में औरत के नेतृत्व के लिए कोई विशेष पाबंदियाँ नहीं हैं, सिवाय इसके कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे नमाज़ की इमामत, एक मर्द को उसकी आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए चुना जाता है।"

सिमरन:
"तो इस्लाम में औरत के नेतृत्व को कैसे देखना चाहिए?"

आमना:
"इस्लाम में औरत के नेतृत्व को एक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व माना जाता है। हर क्षेत्र में औरत की क्षमताओं का भरपूर उपयोग करना चाहिए, चाहे वह शिक्षा हो, राजनीति हो, या सामाजिक सेवाएँ हों। इस्लाम ने औरत को पूर्ण मानवीय अधिकार दिए हैं और उसके नेतृत्व की भूमिका को भी स्वीकार किया है, बस उनके नेतृत्व की प्रकृति परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार अलग हो सकती है।"

सिमरन:
"यह वास्तव में बहुत सरल और स्पष्ट बात है। तो इस्लाम में औरत का नेतृत्व में किरदार बहुत व्यापक और विविध है, और उसके लिए कोई विशेष रुकावट नहीं है?"

आमना:
"बिलकुल! इस्लाम में औरत के लिए नेतृत्व के दरवाज़े खुले हैं, और उसका किरदार न केवल सामाजिक बल्कि धार्मिक, राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस्लाम ने औरत की अहमियत को स्वीकार किया है और उसे अपने किरदार की पूरी स्वतंत्रता दी है।"

ग्यारहवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक शांत कैफ़े में बैठकर चाय पी रही हैं। सिमरन ने एक सवाल उठाया, जिस पर आमना उसकी व्याख्या दे रही है।

सिमरन:
"आमना, एक बात बताओ, क्या इस्लाम में औरत को आर्थिक स्वतंत्रता दी गई है? क्या उसे अपनी जायदाद, माल और दौलत पर पूरा अधिकार प्राप्त है?"

आमना:
"जी हाँ, सिमरन! इस्लाम में औरत को पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता दी गई है। इस्लाम में हर व्यक्ति को अपनी जायदाद पर पूरा अधिकार प्राप्त है, और औरतों को भी अपनी दौलत और जायदाद पर कोई कमजोरी या पाबंदी नहीं है।"

सिमरन:
"तो क्या इसका मतलब यह है कि औरत अपनी कमाई, जायदाद और माल को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है?"

आमना:
"जी हाँ, बिल्कुल! इस्लाम में औरत को अपनी कमाई पर पूरा अधिकार प्राप्त है। वह अपने माल को जैसे चाहे खर्च कर सकती है, उसे बचा सकती है, और अपनी इच्छा से किसी को तोहफ़ा या सदक़ा भी दे सकती है। उस पर शौहर या पिता का कोई भी अधिकार नहीं होता।"

सिमरन:
"लेकिन मैंने सुना है कि इस्लाम में मर्द पर औरत की आर्थिक परवरिश की ज़िम्मेदारी होती है। तो क्या इसका यह मतलब है कि औरत को अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं?"

आमना:
"यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सिमरन! वास्तव में, इस्लाम में मर्द पर औरत की आर्थिक परवरिश की ज़िम्मेदारी इसलिए है ताकि औरत को आर्थिक परेशानियों से मुक्त रखा जाए। इसका उद्देश्य यह है कि औरत अपनी ज़िंदगी में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, और उस पर

किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न हो। यही कारण है कि इस्लाम में औरत को विरासत, कमाई और अन्य आर्थिक अधिकारों पर पूरा अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके साथ-साथ मर्द को आर्थिक रूप से औरत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।"

सिमरन:
"तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम में औरत को आर्थिक स्वतंत्रता है, लेकिन मर्द के लिए उसकी परवरिश आवश्यक है?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में औरत की आर्थिक स्वतंत्रता का सम्मान किया गया है, और उसके माल, जायदाद और कमाई पर किसी को भी बिना अनुमति अधिकार नहीं है। मर्द को आर्थिक बोझ उठाने की ज़िम्मेदारी दी गई है, लेकिन औरत की आर्थिक स्वतंत्रता में कोई रुकावट नहीं है।"

सिमरन:
"और क्या यह केवल विवाहित औरतों के लिए है या अविवाहित औरतों के लिए भी?"

आमना:
"इस्लाम में ये अधिकार सभी औरतों के लिए हैं, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित। एक अविवाहित औरत को भी अपनी विरासत, कमाई और जायदाद पर पूरा अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता, चाहे वह उसका पिता, भाई या शौहर हो।"

सिमरन:
"यह तो बहुत अच्छी बात है कि इस्लाम में औरत की आर्थिक स्वतंत्रता को इतनी अहमियत दी गई है। तो क्या इसमें औरत की जायदाद के संबंध में कोई विशेष निर्देश भी हैं?"

आमना:
"जी हाँ, इस्लाम में औरत के आर्थिक अधिकारों और जायदाद के संबंध में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। क़ुरआन में औरत को विरासत में हिस्सा देने की बात की गई है। और उसके माल और जायदाद को उसकी इच्छा से इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। इस्लाम में औरत का आर्थिक शोषण नहीं किया जा सकता।"

सिमरन:
"यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, आमना! तो इस्लाम ने औरत को आर्थिक स्वतंत्रता देकर उसकी इज़्ज़त और स्थान को ऊँचा किया है।"

आमना:

"जी हाँ, सिमरन! इस्लाम में औरत की आर्थिक स्वतंत्रता को स्वीकार करके उसे उसके अधिकार दिए गए हैं, ताकि वह जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र और सशक्त हो सके। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वह औरत को हर स्तर पर सम्मान देता है और उसके अधिकारों की रक्षा करता है।"

बारहवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक शांत पार्क में बैठकर बातें कर रही हैं। सिमरन ने एक सवाल पूछा है, जिस पर आमना उसे विस्तार से जवाब दे रही है।

सिमरन:
"आमना, एक सवाल है, मैंने सुना है कि इस्लाम में औरत की गवाही को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता। क्या यह सच है? अगर औरत गवाही देती है तो क्या उसकी गवाही की हैसियत मर्द की गवाही के बराबर है?"

आमना:
"यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सिमरन! और वास्तव में, तुम्हारी जो बात है वह कुछ लोगों के बीच फैली हुई गलतफ़हमी पर आधारित है। इस्लाम में औरत की गवाही के अधिकार को स्वीकार किया गया है, लेकिन यह भी बात है कि गवाही के बारे में क़ुरआन और हदीस में कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं जो विशेष परिस्थितियों में होते हैं।"

सिमरन:
"तो फिर क्या औरत की गवाही को स्वीकार नहीं किया जाता?"

आमना:
"इस्लाम में औरत की गवाही का इनकार नहीं किया जाता, लेकिन क़ुरआन में एक आयत है जिसमें कहा गया है कि 'दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है' (अल-क़ुरआन 2:282)। यह आदेश इसलिए है क्योंकि इतिहास में औरतों की शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियाँ अलग थीं, और इसका उद्देश्य गवाही की शुद्धता को सुनिश्चित करना था। इसका मतलब यह नहीं कि औरत की गवाही का सम्मान कम है, बल्कि इसका उद्देश्य उस समय की परिस्थितियों में गवाही की सच्चाई को और अधिक सुनिश्चित करना था।"

सिमरन:
"तो क्या इसका मतलब यह है कि औरत की गवाही मर्द के बराबर नहीं है?"

आमना:

"देखो, सिमरन! यह आदेश विशेष परिस्थितियों के लिए था, जैसे कि व्यापारिक मामलों या आर्थिक मामलों में, जहाँ अनुभव और अवलोकन अधिक महत्व रखते हैं। इसका उद्देश्य गवाही की विश्वसनीयता को बढ़ाना था, न कि औरत की इज़्ज़त या उसके स्थान को कम करना। इसके बावजूद, जब कोई औरत अकेले गवाही देती है तो उसकी गवाही भी स्वीकार्य होती है, बशर्ते कि वह पूरी तरह सच्ची हो।"

सिमरन:

"लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं कि औरतों को मर्दों की तुलना में कमतर समझा जाता है?"

आमना:

"नहीं, सिमरन! यह बिल्कुल गलतफ़हमी है। इस्लाम में औरत का स्थान बहुत ऊँचा है, और उसके अधिकारों की पूरी सुरक्षा की गई है। गवाही के बारे में जो आदेश आया है, वह केवल एक विशेष अवसर के लिए था, और उसका उद्देश्य किसी की इज़्ज़त कम करना नहीं था। वास्तव में, अगर औरत की गवाही मर्द के बराबर हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, और अगर वह अकेले गवाही देती है, तो वह भी स्वीकार्य होती है।"

सिमरन:

"तो क्या इस्लाम में औरत के गवाही देने के अधिकार को पूरी तरह स्वीकार किया गया है?"

आमना:

"जी हाँ, बिल्कुल! इस्लाम में औरत की गवाही के अधिकार को स्वीकार किया गया है, और यह सत्य है कि कई महत्वपूर्ण अवसरों पर औरतों की गवाहियों को स्वीकार किया गया, जैसे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गवाही हदीस की किताबों में एक बड़ी मिसाल है। इसी तरह, औरतों ने विभिन्न फ़तवों और महत्वपूर्ण मामलों में गवाह के रूप में भूमिका निभाई है।"

सिमरन:

"तो फिर औरत की गवाही के बारे में जो यह धारणा है कि उसे मर्द की तुलना में कमतर समझा जाता है, वह गलत है?"

आमना:

"जी हाँ, बिल्कुल! जो धारणा तुमने सुनी है वह गलत है। इस्लाम में औरत की इज़्ज़त और

स्थान अत्यंत ऊँचा है, और उसे हर दृष्टि से वे अधिकार दिए गए हैं जिनसे उसका किरदार और गवाही भी पूरी तरह विश्वसनीय है।"

सिमरन:
"आमना, यह बहुत दिलचस्प बात है कि इस्लाम में औरत के अधिकारों की इतनी पूर्ण और व्यापक सुरक्षा की गई है, विशेष रूप से उसके गवाही के अधिकार के संबंध में।"

आमना:
"जी हाँ, सिमरन! इस्लाम में औरत को पूर्ण अधिकार दिए गए हैं, और उसकी गवाही का सम्मान किया जाता है। यह केवल विशेष परिस्थितियों के तहत होता है ताकि गवाही की सच्चाई को सुनिश्चित किया जा सके, और इसका उद्देश्य औरत को कमतर समझना नहीं है।"

तेरहवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक पार्क में चलते हुए बातें कर रही हैं। सिमरन ने आमना से एक और सवाल पूछा है जो औरत की शारीरिक सुरक्षा के बारे में है।

सिमरन:

"आमना, एक सवाल है जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि इस्लाम में औरत की शारीरिक सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध नहीं है, और कि औरतों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। क्या यह सच है?"

आमना:

"सिमरन, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। इस्लाम में औरत की शारीरिक सुरक्षा के संबंध में बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं, और औरत को हर प्रकार की शारीरिक हिंसा और अत्याचार से बचाने के लिए स्पष्ट रूप से सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।"

सिमरन:

"लेकिन बहुत सारी औरतें दुनिया भर में शारीरिक हिंसा का शिकार हो रही हैं। क्या इस्लाम में इसके संबंध में कोई विशेष कानून है?"

आमना:

"बिल्कुल! इस्लाम में औरत की शारीरिक सुरक्षा के बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। क़ुरआन और हदीस दोनों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना आवश्यक है। हज़रत मुहम्मद ﷺने अपने आख़िरी भाषण में भी फ़रमाया था कि 'तुम्हारी औरतें तुम्हारी माँ की तरह (सम्मान की हक़दार) हैं, और तुम्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।'"

सिमरन:

"तो फिर क्या इस्लाम में शारीरिक हिंसा के खिलाफ कोई कानून नहीं है?"

आमना:

"इस्लाम में शारीरिक हिंसा के खिलाफ बहुत सख्त कदम हैं। किसी भी स्थिति में औरत पर

ज़ुल्म या हिंसा करना पूरी तरह निषिद्ध है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी या किसी औरत के साथ बदसलूकी करता है, तो उसे कठोर सज़ाओं का सामना करना पड़ता है।

क़ुरआन में भी अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि

"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (अल-क़ुरआन 4:19)
"और तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आओ।"

इसी तरह हदीस में भी आता है कि

"لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ" (सुनन अबू दाऊद: 2146)
"अल्लाह की बंदियों (औरतों) को मत मारो।"

और एक जगह फ़रमाया:

"اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" (सहीह बुख़ारी: 5185)
"औरतों के बारे में भलाई की वसीयत स्वीकार करो।"

दूसरी जगह फ़रमाया:

"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ" (सुनन इब्न माजह)
"तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता है।"

सिमरन:
"यह बहुत अच्छी बात है कि इस्लाम में औरत की शारीरिक सुरक्षा के लिए इतनी स्पष्ट हिदायतें दी गई हैं। लेकिन फिर भी दुनिया भर में महिलाओं के साथ हिंसा की खबरें आती हैं। इस्लाम में औरत के शारीरिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?"

आमना:
"इस्लाम में औरत के अधिकारों की सुरक्षा एक बहुत गंभीर मामला है। औरतों की इज़्ज़त, उनके शारीरिक अधिकारों, और उनकी सुरक्षा के लिए इस्लामी शरीअत ने जो कानून बनाए हैं वे बहुत स्पष्ट और सख्त हैं। जैसे कि अगर किसी मर्द ने औरत के साथ शारीरिक हिंसा की, तो उसके खिलाफ अदालत में शिकायत की जा सकती है, और उसे सज़ा हो सकती है। इसी तरह, निकाह के मामलों में भी औरत की रज़ामंदी और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।"

सिमरन:
"यह तो बहुत ही उचित बात है। तो फिर इस्लाम में औरत को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई विशेष उपाय हैं?"

आमना:
"जी हाँ, इस्लाम में औरत की शारीरिक सुरक्षा के लिए बहुत से उपाय रखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि इस्लाम में गैर-महरम मर्दों और औरतों के बीच सीमाएँ निर्धारित की गई हैं ताकि शारीरिक नुकसान से बचा जा सके। इसके अलावा, इस्लामी समाज में औरत को हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा से बचाने के लिए सख्ती से निर्देश दिए गए हैं।"

सिमरन:
"तो क्या औरत के शारीरिक अधिकारों की सुरक्षा इस्लाम में एक पूर्ण व्यवस्था के तहत की गई है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम में औरत के शारीरिक अधिकारों की सुरक्षा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यवहारिक रूप से भी पूर्ण व्यवस्था मौजूद है। इसमें औरत की इज़्ज़त, उसकी सुरक्षा, और उसके शारीरिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। इस्लामी समाज में किसी भी औरत पर ज़ुल्म और हिंसा करना पूरी तरह नापसंद किया गया है और उसे सख्ती से रोका गया है।"

सिमरन:
"आमना, यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस्लाम में औरत के शारीरिक अधिकारों और उसकी इज़्ज़त का इतना ध्यान रखा गया है।"

आमना:
"बिल्कुल सिमरन! और यह केवल शुरुआत की बात नहीं, बल्कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वह अपने सामाजिक किरदार के तहत औरत के अधिकारों का पूरा सम्मान करे और उसकी शारीरिक सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए।"

चौदहवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कैफ़े में बैठे हैं, जहाँ दोनों के बीच गहरी बातचीत हो रही है। सिमरन ने आमना से मर्दों के औरतों के साथ अच्छे व्यवहार के बारे में सवाल किया है।

सिमरन:
"आमना, एक और सवाल है जो हमेशा मेरे ज़ेहन में आता है। बहुत सारी जगहों पर यह कहा जाता है कि इस्लाम में मर्दों को औरतों पर पूरा अधिकार हासिल है और उन पर सख़्त रवैया अपनाना जायज़ है। क्या यह सच है? इस्लाम मर्दों को औरतों के साथ किस तरह व्यवहार करने का हुक्म देता है?"

आमना:
"सिमरन, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझती हूँ कि यह एक ग़लतफ़हमी है जो कुछ लोगों में पाई जाती है। इस्लाम में मर्दों के लिए औरतों के साथ अच्छे व्यवहार की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, **और हज़रत मुहम्मद ﷺने अपनी आख़िरी तक़रीर में फ़रमाया था:**
"فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ" **(सहीह मुस्लिम)**

"अल्लाह से डरो और औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर हासिल किया है और तुमने उनके जिस्मों को अल्लाह के कलमे के ज़रिए हलाल किया है।"

यह हदीस इस बात को स्पष्ट करती है कि इस्लाम में औरतों को बहुत इज़्ज़त और सम्मान दिया गया है, और मर्दों के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना ज़रूरी है। हज़रत मुहम्मद ﷺ ने अपने पैग़ाम में औरतों के अधिकारों की सुरक्षा की ताकीद की, और उनके साथ व्यवहार में नरमी, मोहब्बत और सम्मान को आवश्यक क़रार दिया।

सिमरन:
"यह तो बहुत अच्छी बात है! तो फिर इस्लाम में मर्दों को औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करने के संबंध में क्या विशेष निर्देश दिए गए हैं?"

आमना:

"इस्लाम में मर्दों को औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। **क़ुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमाया:**

"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (अल-क़ुरआन 4:19)

"और अपनी बीवियों के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आओ।"

और हज़रत मुहम्मद ﷺने फ़रमाया:

"خيركم خيركم لأهله" (सुनन इब्ने माजा)

"तुम में सबसे बेहतरीन वह है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार करे।"

सिमरन:

"तो इस्लाम में औरत के अधिकारों के बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं? क्या उनके अधिकारों का सम्मान ज़रूरी है?"

आमना:

"जी हाँ, इस्लाम में औरत के अधिकारों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। मर्द को औरत के साथ अच्छे व्यवहार की ताकीद की गई है, और उसके अधिकारों का ख़याल रखना फ़र्ज़ क़रार दिया गया है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक मर्द अपनी बीवी के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आता है, तो यह उसके ईमान की निशानी समझा जाता है। हज़रत मुहम्मद ﷺकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वह अपनी बीवियों के साथ अत्यंत सम्मान और मोहब्बत से पेश आते थे।"

सिमरन:

"यह बहुत ही शानदार है! तो इस्लाम में मर्दों के लिए औरतों के साथ अच्छे व्यवहार की सीमाएँ क्या हैं?"

आमना:

"इस्लाम में अच्छे व्यवहार की सीमाएँ बहुत स्पष्ट हैं। मर्द को अपनी बीवी की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसे आर्थिक रूप से सहारा देना चाहिए, और उसके जज़्बात और एहसासात का सम्मान करना चाहिए। इस्लाम में औरत की व्यक्तिगत आज़ादी और उसके चुनाव के अधिकारों को स्वीकार किया गया है, और मर्द को अपनी बीवी की राय और एहसासात को गंभीरता से लेना चाहिए।"

सिमरन:

"तो फिर क्या मर्दों को अपनी बीवी की मर्ज़ी के बिना कोई फ़ैसला करने का हक़ है?"

आमना:

"इस्लाम में निकाह एक आपसी समझौता है, जिसमें दोनों पक्षों की रज़ामंदी ज़रूरी है। किसी भी औरत की मर्ज़ी के बिना निकाह करना या उस पर किसी प्रकार का फ़ैसला ज़बरदस्ती थोपना इस्लाम में जायज़ नहीं है।

हज़रत मुहम्मद ﷺने फ़रमाया:

"لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"

(सहीह बुख़ारी, हदीस नंबर: 5136)

"किसी विधवा का निकाह उसकी अनुमति के बिना न किया जाए, और किसी कुँवारी का निकाह उसकी रज़ामंदी के बिना न किया जाए।"

इस हदीस से स्पष्ट होता है कि निकाह में औरत की अनुमति और मर्ज़ी बुनियादी हैसियत रखती है, और किसी को यह हक़ नहीं कि वह औरत की नापसंदगी के बावजूद उस पर निकाह थोपे।

इसी तरह, नबी करीम ﷺका फ़रमान है:

"إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"

(सुनन अबू दाऊद, हदीस नंबर: 236)

"औरतें मर्दों की हम-मिस्ल हैं।"

यह हदीस औरतों और मर्दों की दीन के संबंध में समानता की ओर संकेत करती है, यानी दोनों के अधिकार और कर्तव्य अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, और इस्लाम में महिलाओं को भी राय, मर्ज़ी और फ़ैसले का अधिकार प्राप्त है।

इसलिए, इस्लाम में शौहर को यह हक़ नहीं कि वह अपनी बीवी पर कोई ऐसा फ़ैसला ज़बरदस्ती थोपे जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, और निकाह जैसे महत्वपूर्ण मामले में औरत की पूर्ण रज़ामंदी आवश्यक है।

सिमरन:

"तो मर्दों को औरतों के साथ अच्छे व्यवहार करने की ज़िम्मेदारी इस्लाम में किस तरह तय की गई है?"

आमना:

"इस्लाम में मर्दों के लिए बहुत सख़्त निर्देश हैं कि वे औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करें, और

यह सिर्फ़ बाहरी नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। इसमें उन्हें अपनी बीवियों की तकलीफ़ों और खुशियों का ख़याल रखना होता है, और अगर कभी मतभेद हों तो उन्हें नरमी और समझदारी से हल करना होता है। हज़रत मुहम्मद ﷺकी ज़िंदगी इसका सबसे बेहतरीन नमूना है, वे अपनी बीवियों के साथ हमेशा नरमी और अच्छे व्यवहार से पेश आते थे।"

सिमरन:
"यह बहुत प्रभावित करने वाली बातें हैं आमना! तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम में मर्दों को औरतों के साथ सख़्ती करने का नहीं बल्कि उनके साथ मोहब्बत और अच्छे व्यवहार करने का हुक्म दिया गया है?"

आमना:
"बिल्कुल सिमरन! इस्लाम में मर्दों को औरतों के साथ अच्छे व्यवहार की हिदायत दी गई है। कोई भी मर्द जो अपनी बीवी के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आता है, वह इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार जीवन गुज़ार रहा है। और यह बात हमेशा याद रखो कि औरतों का सम्मान और उनके अधिकारों का ख़याल रखना न सिर्फ़ सामाजिक आवश्यकता है बल्कि दीन के सिद्धांतों के अनुसार भी फ़र्ज़ है।"

सिमरन:
"आमना, मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुई हूँ। ये बातें सुनकर मुझे इस्लाम के बारे में एक नई समझ मिली है।"

आमना:
"मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये बातें समझ आई हैं, सिमरन। इस्लाम में हर इंसान के अधिकारों का सम्मान किया गया है, और विशेष रूप से औरतों के अधिकारों को बहुत महत्व दिया गया है।"

पंद्रहवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक खूबसूरत बाग़ में चलते हुए बातचीत कर रही हैं। सिमरन ने आमना से औरत के शरई अधिकारों के बारे में और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की है।

सिमरन:

"आमना, एक बात हमेशा मेरी समझ में नहीं आती। कुछ लोग यह कहते हैं कि इस्लाम में औरतों के अधिकारों को कम किया गया है और उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। क्या इस्लाम में औरतों के शरई अधिकार वास्तव में सुरक्षित हैं?"

आमना:

"सिमरन, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर स्पष्ट बात करने की आवश्यकता है। इस्लाम में औरतों के अधिकारों की रक्षा की गई है और उन्हें बहुत से शरई अधिकार दिए गए हैं जो उनकी इज़्ज़त, गरिमा और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। वास्तव में, इस्लाम ने औरतों को वे अधिकार दिए हैं जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था में उनका अधिकार बनते हैं।"

सिमरन:

"तो इस्लाम में औरत के शरई अधिकारों में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? क्या उसका कोई विशेष उल्लेख है?"

आमना:

"जी हाँ, इस्लाम में औरतों के विभिन्न शरई अधिकार हैं, और ये अधिकार क़ुरआन और हदीस में बहुत विस्तार से बयान किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर, औरत का विरासत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शादी में रज़ामंदी का अधिकार, तलाक़ का अधिकार, और रोज़ी-रोटी का अधिकार शामिल हैं। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

(अन-निसा: 32)

"और उस चीज़ की तमन्ना न करो जिसके ज़रिए अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ पर श्रेष्ठता दी है। मर्दों के लिए उनके कर्मों के अनुसार हिस्सा है, और औरतों के लिए उनके कर्मों

के अनुसार हिस्सा है। और अल्लाह से उसके फ़ज़्ल का सवाल करो, निःसंदेह अल्लाह हर चीज़ का ख़ूब ज्ञान रखने वाला है।"

सिमरन:
"तो क्या औरतों को इस्लाम में विरासत में हिस्सा देना फ़र्ज़ है?"

आमना:
"जी हाँ, इस्लाम में औरत को विरासत में हिस्सा देना फ़र्ज़ है। क़ुरआन में स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया गया है कि मर्द और औरत को उनके अधिकारों के अनुसार विरासत दी जाए। और यह भी याद रखें कि विरासत में हिस्सा इस बात पर निर्भर नहीं होता कि वह औरत है या मर्द, बल्कि इसका आधार उसके पारिवारिक संबंध और उसकी विशेष परिस्थितियाँ होती हैं।"

सिमरन:
"यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात है! और तलाक़ के संबंध में इस्लाम में औरत के अधिकारों का क्या स्थान है?"

आमना:
"इस्लाम में औरत को तलाक़ के मामले में भी सुरक्षा प्राप्त है। यद्यपि तलाक़ एक नापसंद किया गया कार्य है, लेकिन अगर परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हों कि जीवन गुज़ारना मुश्किल हो जाए, तो औरत को तलाक़ लेने का अधिकार है। और मर्द को भी यह ज़िम्मेदारी दी गई है कि वह औरत के अधिकारों की रक्षा करे, और अगर तलाक़ दे भी दे तो उसे उचित तरीके से और औरत के अधिकारों का ध्यान रखते हुए दे।"

सिमरन:
"तो इस्लाम में औरत को तलाक़ के बाद भी उसके अधिकारों की सुरक्षा मिलती है?"

आमना:
"जी हाँ, बिल्कुल! तलाक़ के बाद भी औरत के आर्थिक अधिकारों की रक्षा की गई है। उसे इद्दत के दौरान ख़र्च दिया जाता है, और वह अपने आर्थिक मामलों में स्वतंत्र रहती है। इसके अलावा, अगर औरत के तलाक़ के बाद उसके बच्चे हों तो वे भी उसके साथ रहने का अधिकार रखते हैं, और बच्चे की परवरिश में उसके अधिकारों का ध्यान रखा जाता है।"

सिमरन:
"और शिक्षा के संबंध में इस्लाम में औरत के अधिकारों के बारे में क्या आदेश है?"

आमना:

"इस्लाम में औरत को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया गया है। हज़रत मुहम्मद ﷺने फ़रमाया:

'इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है।'

यानी मर्द और औरत दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार है, और यह फ़र्ज़ समझा जाता है कि वे ज्ञान प्राप्त करें।"

सिमरन:

"यह तो बहुत शानदार है! तो औरत के शरई अधिकारों की रक्षा केवल एक धार्मिक आदेश नहीं बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता भी है?"

आमना:

"बिल्कुल, सिमरन! इस्लाम में औरत के अधिकारों की रक्षा एक सामाजिक आवश्यकता भी है। इससे न सिर्फ़ औरत की गरिमा और सम्मान सुरक्षित होता है, बल्कि पूरे समाज में न्याय और समानता की स्थापना भी होती है। इस्लाम में औरत के अधिकारों को केवल व्यक्ति के अधिकार नहीं समझा जाता, बल्कि यह एक सामाजिक कल्याण का हिस्सा है।"

सिमरन:

"आमना, यह सब सुनकर मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अब मुझे समझ आ रहा है कि इस्लाम में औरतों के अधिकारों का कितना महत्व है और उनकी रक्षा कैसे की गई है।"

आमना:

"मुझे खुशी है कि तुम्हें ये बातें समझ आईं, सिमरन। इस्लाम में औरतों के अधिकारों की रक्षा न सिर्फ़ दीन की अहमियत को दर्शाती है, बल्कि यह हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें सम्मान दें।"

सोलहवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कमरे में बैठकर चाय पी रही हैं। सिमरन आमना से औरत के घरेलू और बच्चों की परवरिश में भूमिका के बारे में और अधिक जानना चाहती है।

सिमरन:

"आमना, मैंने हमेशा सुना है कि औरत का सबसे महत्वपूर्ण किरदार घर में होता है, और वह बच्चों की परवरिश के लिए ज़िम्मेदार होती है। क्या इस्लाम में औरत को बच्चों की परवरिश का विशेष आदेश दिया गया है?"

आमना:

"जी हाँ, सिमरन! इस्लाम में औरत के घरेलू किरदार को बहुत महत्व दिया गया है, और उसकी परवरिश के बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार, औरत का मूल किरदार अपने परिवार की भलाई और कल्याण में शामिल होता है, विशेष रूप से बच्चों की परवरिश में।"

सिमरन:

"यह तो बहुत दिलचस्प है! तो इस्लाम में बच्चों की परवरिश के संबंध में औरत की ज़िम्मेदारी क्या है?"

आमना:

"इस्लाम में बच्चों की परवरिश एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसकी मूल ज़िम्मेदारी माँ पर है। हज़रत मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया:

"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

"तुम सब ज़िम्मेदार हो और हर व्यक्ति से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा।"
(बुख़ारी)

माँ वह होती है जो बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा, नैतिकता और सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। बच्चों की सबसे पहली और सबसे प्रभावी शिक्षा घर में ही शुरू होती है, और माँ का किरदार इसमें बुनियादी महत्व रखता है।"

सिमरन:
"तो क्या सिर्फ़ माँ ही बच्चों की परवरिश के लिए ज़िम्मेदार है, या बाप का भी कोई किरदार है?"

आमना:
"सिमरन, बच्चों की परवरिश में दोनों माता-पिता का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है, मगर प्रारंभिक परवरिश और नैतिक शिक्षा में माँ का किरदार बहुत अधिक होता है। नबी करीम ﷺने फ़रमाया:
"اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" (इब्ने माजा)
"इल्म हासिल करो, माँ के पेट से लेकर क़ब्र तक।"
इसका मतलब यह है कि बच्चा जब पहली बार दुनिया में आता है, तो वह सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। माँ की गोद वह पहली जगह है जहाँ बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ होता है, और यही उसकी नैतिक बुनियाद भी होती है।"

सिमरन:
"यह तो बहुत खूबसूरत बात है! तो इस्लाम में बच्चों की परवरिश के संबंध में क्या सिद्धांत दिए गए हैं?"

आमना:
"इस्लाम में बच्चों की परवरिश के संबंध में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। सबसे पहले यह है कि बच्चों को प्रेम, सम्मान और नरमी से परवरिश दी जाए। उन्हें शिक्षा दी जाए कि वे अल्लाह और रसूल ﷺकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन गुज़ारें। इसके अलावा, माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि बच्चे अपने माता-पिता की नकल करें।"

सिमरन:
"यानी बच्चों की परवरिश के लिए सिर्फ़ शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे आचरण भी ज़रूरी हैं?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में बच्चों की परवरिश में सिर्फ़ ज्ञान का नहीं बल्कि नैतिकता का भी बहुत बड़ा किरदार है। हज़रत मुहम्मद ﷺने फ़रमाया:
"إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" (इब्ने माजा)
"मुझे अच्छे आचरण की पूर्णता के लिए भेजा गया है।"

अगर बच्चे अपने माता-पिता के अच्छे आचरण देखेंगे तो वे भी उसी तरह के आचरण अपनाएँगे।"

सिमरन:
"तो यह भी कह सकते हैं कि औरत का घरेलू किरदार सिर्फ़ बच्चों की परवरिश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे परिवार की भलाई के लिए भी ज़रूरी है?"

आमना:
"जी हाँ, बिल्कुल! औरत का किरदार घर के अंदर एक स्तंभ की तरह होता है। वह न सिर्फ़ बच्चों की परवरिश करती है, बल्कि वह पूरे परिवार को एक अच्छी और मज़बूत बुनियाद प्रदान करती है। उसकी मोहब्बत और मेहनत से ही पूरे परिवार का माहौल खुशगवार और शांतिपूर्ण रहता है।"

सिमरन:
"यह सब सुनकर मुझे यह समझ आया कि औरत का घरेलू किरदार कितनी बड़ी अहमियत रखता है, और उसकी ज़िम्मेदारी भी कितनी गंभीर होती है।"

आमना:
"सिमरन, यह बिल्कुल सही है। औरत का किरदार घर में सिर्फ़ एक मामूली ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो सामाजिक विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस्लाम ने औरत की अहमियत को बहुत समझा है और उसके घरेलू किरदार की सराहना की है।"

सिमरन:
"मैंने हमेशा यह सुना था कि इस्लाम में औरत के अधिकार कम हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि इस्लाम ने औरत को बच्चों की परवरिश और घरेलू ज़िम्मेदारियों में एक महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थान दिया है।"

आमना:
"मुझे खुशी है कि तुम्हें ये बातें समझ आईं, सिमरन। इस्लाम में औरत के घरेलू किरदार को बड़ी इज़्ज़त दी गई है, और उसका प्रभाव न सिर्फ़ अपने परिवार पर होता है बल्कि पूरे समाज पर भी पड़ता है।"

सत्रहवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कैफ़े में बैठकर चाय पी रही हैं। सिमरन आमना से औरत के सफ़र और स्वतंत्र आवाजाही के बारे में सवाल करना चाहती है।

सिमरन:

"आमना, मैंने सुना है कि इस्लाम में औरत के सफ़र पर कुछ पाबंदियाँ हैं। क्या यह बात सच है? और अगर है तो क्यों?"

आमना:

"सिमरन, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है कि तुमने इस विषय पर सवाल किया। इस्लाम में औरत के सफ़र के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं, वे वास्तव में उसकी सुरक्षा के लिए हैं। इस्लाम ने औरत को आज़ादी दी है, मगर उस आज़ादी का उद्देश्य उसकी भलाई और सुरक्षा है।"

सिमरन:

"तो क्या औरत को सफ़र करने का अधिकार नहीं है?"

आमना:

"नहीं, इस्लाम में औरत को सफ़र करने का पूरा अधिकार दिया गया है, बशर्ते उस सफ़र में उसकी इज़्ज़त और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रसूलुल्लाह ﷺने फ़रमाया:
"لا تَسافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" (सहीह मुस्लिम)
"कोई औरत अपने महरम के बिना सफ़र न करे।"

इस हदीस में इस्लाम की ओर से एक एहतियाती व्यवस्था प्रस्तुत की गई है ताकि औरत की इज़्ज़त और सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। इस्लाम में औरत को अपने अधिकारों का पूरा संरक्षण प्राप्त है, और सफ़र की आज़ादी उसकी सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है ताकि किसी प्रकार की परेशानी या कठिनाई से बचा जा सके।"

सिमरन:
"यह तो बहुत दिलचस्प है! तो क्या इस्लाम में औरत के सफ़र के लिए कुछ विशेष सिद्धांत हैं?"

आमना:
"जी हाँ, इस्लाम में औरत के सफ़र के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सफ़र के दौरान औरत की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। औरत को उस सफ़र में ऐसी जगहों से बचना चाहिए जहाँ उसकी इज़्ज़त या जान को ख़तरा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि औरत को सफ़र के लिए किसी महरम के साथ जाना आवश्यक है, ताकि उसकी इज़्ज़त और सुरक्षा की गारंटी हो।"

सिमरन:
"तो क्या महरम के बिना औरत को सफ़र की अनुमति नहीं?"

आमना:
"इस्लाम में महरम का उल्लेख इसलिए किया गया है ताकि औरत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य औरत की आज़ादी पर पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि उसकी भलाई और सुरक्षा है। मगर अगर परिस्थितियाँ ऐसी हों कि औरत का महरम के बिना सफ़र करना आवश्यक हो, तो कुछ विद्वानों के अनुसार वह सफ़र करना संभव हो सकता है, बशर्ते उसकी इज़्ज़त और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।"

सिमरन:
"तो क्या औरत को दुनिया के किसी भी हिस्से में सफ़र करने की आज़ादी है?"

आमना:
"हाँ, इस्लाम में औरत को दुनिया के किसी भी हिस्से में सफ़र करने की आज़ादी दी गई है, बशर्ते वह अपने अधिकारों का संरक्षण करे और उस सफ़र में उसकी इज़्ज़त सुरक्षित हो। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस्लाम में औरत को उसकी सुरक्षा और भलाई के लिए कुछ सिद्धांतों की मार्गदर्शना दी गई है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य औरत की इज़्ज़त, आज़ादी और सुरक्षा है।"

सिमरन:
"यह बहुत दिलचस्प है! तो इसका मतलब है कि इस्लाम औरत को हर दृष्टि से आज़ादी देता है, मगर उस आज़ादी में उसकी भलाई और सुरक्षा को महत्व दिया गया है?"

आमना:
"बिल्कुल, सिमरन! इस्लाम में औरत को पूरी आज़ादी दी गई है, मगर उस आज़ादी को बुद्धि और प्रकृति के अनुसार रखा गया है ताकि उसकी भलाई, इज़्ज़त और सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस्लाम में औरत के अधिकारों का संरक्षण न सिर्फ़ उसके शारीरिक अधिकारों तक सीमित है बल्कि उसके मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक अधिकारों का भी पूरा संरक्षण किया गया है।"

सिमरन:
"यह बात तो बहुत स्पष्ट हो गई। अब मुझे समझ में आया कि इस्लाम में औरत के सफ़र की आज़ादी को कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं किया गया बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।"

आमना:
"बिल्कुल, सिमरन! इस्लाम में औरत के सफ़र के अधिकार और उसकी स्वतंत्र आवाजाही को उसकी भलाई और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा गया है। इस्लाम ने औरत को हर क्षेत्र में आज़ादी और सम्मान दिया है, और उसमें उसकी सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दी है।"

अठारहवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक शांत जगह पर बैठी हैं, जहाँ वे जीवन के विभिन्न विषयों पर बात कर रही हैं। सिमरन को इस्लाम में औरत की शादी के संबंध में कुछ सवाल हैं, और वह आमना से उन सवालों का जवाब चाहती है।

सिमरन:
"आमना, एक सवाल पूछना है, बहुत सारी जगहों पर मैंने सुना है कि इस्लाम में लड़की की शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं की जाती, क्या यह सच है? क्या इस्लाम में लड़की की रज़ा और पसंद का कोई स्थान नहीं है?"

आमना:
"सिमरन, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है कि तुमने यह सवाल उठाया। वास्तव में, इस्लाम में लड़की की रज़ा और पसंद को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। शादी एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, और इस्लाम में लड़की के अधिकार को स्वीकार किया गया है।"

सिमरन:
"तो क्या इसका मतलब है कि लड़की को अपनी पसंद की शादी करने का अधिकार प्राप्त है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम में लड़की को अपनी शादी के मामले में पूरा अधिकार दिया गया है। यह बहुत स्पष्ट है कि लड़की की रज़ा के बिना शादी नहीं की जा सकती। रसूलुल्लाह ﷺने फ़रमाया:
"لَا تُزَوَّجُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَ لَا تُزَوَّجُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ" (सहीह बुख़ारी)

"कुँवारी लड़की की शादी उसकी अनुमति के बिना नहीं की जा सकती, और विधवा की शादी भी उसकी अनुमति के बिना नहीं की जा सकती।"

इस हदीस से यह स्पष्ट होता है कि शादी का फ़ैसला लड़की की रज़ा के बिना नहीं हो सकता। इस्लाम ने औरत के अधिकारों की रक्षा की है, और यह भी आवश्यक है कि वह अपनी शादी में पूरी तरह राज़ी हो।"

सिमरन:
"तो अगर लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती हो, लेकिन माता-पिता या परिवार वाले उस शादी के पक्ष में न हों, तो क्या वह उस लड़के से शादी कर सकती है?"

आमना:
"देखो सिमरन, इस्लाम में लड़की के माता-पिता और परिवार वालों का फ़र्ज़ है कि वे अपनी बेटी की सही मार्गदर्शन करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे उसे उसकी पसंद के ख़िलाफ़ शादी पर मजबूर कर सकते हैं। अगर लड़की किसी व्यक्ति को पसंद करती है और वह उससे शादी करना चाहती है, तो उसकी रज़ा और पसंद को महत्व दिया जाएगा। हालाँकि, अगर परिवार को लगे कि उस शादी में कोई शरई या नैतिक समस्या है, तो वे अपनी बेटी को सलाह दे सकते हैं। लेकिन आख़िरकार फ़ैसला लड़की का है, और उसकी रज़ा ज़रूरी है।"

सिमरन:
"यह तो बहुत दिलचस्प बात है! तो क्या इसका मतलब है कि इस्लाम लड़की की स्वायत्तता को स्वीकार करता है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम में लड़की को पूरी स्वायत्तता और अधिकार दिया गया है, और उसका चयन का अधिकार और रज़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इस्लाम ने शादी के मामले में लड़की को न सिर्फ़ सम्मान दिया है बल्कि उसकी पसंद को भी एक मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है।"

सिमरन:
"यानी इस्लाम में लड़की को अपने शौहर को चुनने का पूरा अधिकार है, बशर्ते वह उसकी रज़ामंदी से हो?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में शादी एक आपसी रज़ामंदी और मोहब्बत का रिश्ता है। लड़की की रज़ा के बिना कोई भी शादी पूरी नहीं हो सकती। इस्लाम ने न सिर्फ़ शादी के सिद्धांत निर्धारित किए हैं बल्कि इसमें लड़की की इज़्ज़त और उसके अधिकारों की भी पूरी रक्षा की है।"

सिमरन:
"तो क्या यह बात सिर्फ़ लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए भी?"

आमना:
"यह बात दोनों के लिए है! इस्लाम में लड़के और लड़की दोनों की रज़ा और पसंद की अहमियत है। लड़का भी अपनी पसंद की बीवी चुन सकता है, और लड़की भी अपने शौहर को चुन सकती है। दोनों के अधिकारों को बराबर स्वीकार किया गया है, और उनकी रज़ा को महत्व दिया गया है।"

सिमरन:
"यह बात मेरे लिए बहुत नई है। मैं हमेशा यही समझती थी कि इस्लाम में शादी की कोई विशेष आज़ादी नहीं होती, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ़ लड़की की रज़ा पर निर्भर नहीं है बल्कि दोनों के बीच आपसी रज़ामंदी ज़रूरी है।"

आमना:
"बिल्कुल, सिमरन! इस्लाम में शादी एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों के बीच मोहब्बत, सम्मान और रज़ामंदी पर आधारित होता है। इसमें किसी भी पक्ष को मजबूर नहीं किया जा सकता, और दोनों की पसंद और रज़ा बहुत महत्वपूर्ण है।"

उन्नीसवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक बाग़ में बैठकर गहरी बातचीत कर रही हैं। सिमरन को इस्लाम में औरत के आर्थिक अधिकारों के बारे में सवाल हैं, और वह आमना से इन विषयों पर बात करना चाहती है।

सिमरन:
"आमना, एक सवाल है, मैंने सुना है कि इस्लाम में औरत का आर्थिक अधिकार सीमित किया गया है, और वह जायदाद में हिस्सा नहीं पा सकती। क्या यह सच है?"

आमना:
"सिमरन, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे ख़ुशी है कि तुमने यह सवाल किया। इस्लाम में औरत के आर्थिक अधिकार को न सिर्फ़ स्वीकार किया गया है, बल्कि उसे अपनी जायदाद पर पूरा अधिकार दिया गया है।"

सिमरन:
"लेकिन अगर औरतों को जायदाद में पूरा अधिकार दिया गया है तो फिर क्यों कभी-कभी मर्दों के मुक़ाबले में कम हिस्सा दिया जाता है?"

आमना:
"यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब समझना ज़रूरी है। इस्लाम में औरतों को विरासत में हिस्सा दिया गया है, और उनका अधिकार सुरक्षित है। क़ुरआन में अल्लाह तआला ने साफ़ तौर पर बयान किया है कि मर्दों और औरतों दोनों को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा।"

सिमरन:
"तो फिर यह अंतर क्यों है? मर्दों को ज़्यादा हिस्सा क्यों दिया जाता है?"

आमना:
"यह अंतर उनकी ज़िम्मेदारियों की बुनियाद पर है। इस्लाम में मर्दों पर घर की आर्थिक ज़िम्मेदारी होती है। यानी मर्द को अपनी बीवी, बच्चों, माता-पिता और परिवार की परवरिश

करनी होती है, जबकि औरतों पर ऐसी कोई आर्थिक ज़िम्मेदारी नहीं होती। इसलिए क़ुरआन में मर्दों को औरतों के मुक़ाबले में ज़्यादा हिस्सा दिया गया है, ताकि वे अपने परिवार की परवरिश कर सकें। लेकिन औरत जो भी जायदाद या माल हासिल करती है, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी अपनी मिल्कियत होती है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता।"

सिमरन:
"यानी औरत का अपनी जायदाद पर पूरा अधिकार है?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में औरत का माल और जायदाद पूरी तरह उसकी मिल्कियत है। वह उसका इस्तेमाल जैसे चाहे कर सकती है, और न शौहर न माता-पिता उस पर किसी प्रकार का दावा कर सकते हैं। यह इस्लाम की एक बड़ी विशेषता है।"

सिमरन:
"यह तो बहुत दिलचस्प बात है! तो क्या इस्लाम में औरत को व्यापार करने का भी अधिकार दिया गया है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम में औरत को अपने माल की कमाई और व्यापार करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। वह अपने व्यापार, जायदाद और दौलत पर पूरा अधिकार रखती है, और उस पर किसी भी मर्द का कोई अधिकार नहीं होता।"

सिमरन:
"तो क्या इस्लाम में औरतों के आर्थिक अधिकार मर्दों के बराबर हैं?"

आमना:
"इस्लाम में औरतों के आर्थिक अधिकारों की पूरी रक्षा की गई है, और उन्हें आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाया गया है। मर्दों की तुलना में औरतों के लिए अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं, और इस्लाम ने उन ज़िम्मेदारियों की बुनियाद पर अधिकार दिए हैं। लेकिन आर्थिक आज़ादी और मिल्कियत के अधिकार में औरतें मर्दों से कम नहीं हैं।"

सिमरन:
"यानी औरत न सिर्फ़ अपनी जायदाद रख सकती है बल्कि उस जायदाद पर उसका पूरा अधिकार भी है?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में औरत की जायदाद और माल पर पूरा अधिकार है, और यह उसकी व्यक्तिगत मिल्कियत है। उस पर किसी का कोई दावा नहीं हो सकता।"

सिमरन:
"यह तो बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैं हमेशा यह सोचती थी कि इस्लाम में औरतों को आर्थिक आज़ादी नहीं है।"

आमना:
"देखो सिमरन, बहुत से लोग इस्लाम के बारे में ग़लतफ़हमियाँ फैलाते हैं, लेकिन जब तुम इस्लाम की वास्तविक शिक्षाओं को देखोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि इस्लाम में औरतों के अधिकार बहुत मज़बूत हैं, और उनकी आर्थिक आज़ादी की पूरी रक्षा की गई है।"

बीसवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कैफ़े में बैठकर गहरी बातचीत कर रही हैं। सिमरन को औरत के न्यायपालिका में किरदार और इंसाफ़ के बारे में सवाल हैं।

सिमरन:
"आमना, मैं हमेशा यह सुनती हूँ कि औरतों के साथ इंसाफ़ नहीं होता, खास तौर पर न्यायपालिका में। तुम्हें क्या लगता है? क्या इस्लाम में औरतों को इंसाफ़ मिलता है?"

आमना:
"सिमरन, तुमने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। इस्लाम में औरतों के अधिकारों और इंसाफ़ को बहुत महत्व दिया गया है। क़ुरआन और हदीस में औरतों को इंसाफ़ देने के बारे में कई स्पष्ट शिक्षाएँ हैं।"

सिमरन:
"लेकिन क्या न्यायपालिका में भी औरतों के अधिकारों की रक्षा की गई है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम में औरत के अधिकारों की रक्षा इस तरह की गई है कि कोई भी मर्द या औरत उस पर ज़्यादती नहीं कर सकता। अदालत में औरत का मामला मर्द के बराबर महत्व रखता है, और उसे इंसाफ़ मिलना ज़रूरी है। क़ुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا"
(सूरह अन-निसा 58)

"अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हक़दारों तक पहुँचाओ और जब लोगों के बीच फ़ैसला करो तो इंसाफ़ के साथ करो। निःसंदेह अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छी नसीहत करता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है।"

यह आयत यह दर्शाती है कि इस्लाम में इंसाफ़ की अहमियत अत्यंत अधिक है, और किसी भी स्थिति में इंसाफ़ की कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चाहे मामला मर्द का हो या औरत का, अदालत में इंसाफ़ की सभी आवश्यकताएँ पूरी की जाएँगी।"

सिमरन:
"तो क्या इस्लाम में औरत की गवाही भी मर्द के बराबर होती है?"

आमना:
"यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस्लाम में औरत को गवाही का अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आर्थिक मामलों में, दो औरतों की गवाही को एक मर्द की गवाही के बराबर माना गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि औरतों को इंसाफ़ नहीं मिलता, बल्कि यह इस्लाम के दृष्टिकोण की व्याख्या है कि मर्द और औरत दोनों की गवाही की अहमियत है।"

सिमरन:
"यानी इस्लाम में औरत का अधिकार न्यायपालिका में पूरी तरह सुरक्षित है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम ने औरत को न्यायपालिका में पूरा इंसाफ़ देने की गारंटी दी है। उसे अपने अधिकारों का पूरा संरक्षण प्राप्त है, और वह किसी भी फ़ैसले में सहभागी बन सकती है। और तुमने जो सुना है कि औरत को इंसाफ़ नहीं मिलता, यह इस्लाम की ग़लत व्याख्या का परिणाम है। वास्तविकता यह है कि इस्लाम में औरत के अधिकारों की रक्षा की गई है, और न्यायपालिका में उसका किरदार अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

सिमरन:
"यह तो बहुत अच्छा है कि इस्लाम में औरत के अधिकारों की इतनी गहराई से रक्षा की गई है।"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में औरत के अधिकारों की रक्षा सिर्फ़ न्यायपालिका में ही नहीं बल्कि हर स्तर पर की गई है। अल्लाह की हिदायत के अनुसार औरत को हर क्षेत्र में इंसाफ़ मिलना चाहिए।"

इक्कीसवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक शांत जगह पर बैठकर इस्लाम में औरत की आध्यात्मिक उन्नति और उसके अधिकारों के बारे में बात कर रही हैं।

सिमरन:

"आमना, मैं यह सोचती हूँ कि क्या इस्लाम में औरत की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई विशेष निर्देश हैं? क्या औरतों को आध्यात्मिक दृष्टि से भी बराबर का अधिकार दिया गया है?"

आमना:

"यह बहुत अच्छा सवाल है सिमरन! इस्लाम में औरतों की आध्यात्मिक उन्नति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अल्लाह ने क़ुरआन में फ़रमाया है:

"مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ"
(सूरह अन-नहल 97)

"जो व्यक्ति मर्द हो या औरत, ईमान लाए और अच्छे कर्म करे, हम उसे सुखमय जीवन देंगे और हम उनके कर्मों के अनुसार उन्हें उत्तम प्रतिफल देंगे।"

इस आयत से यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के लिए आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुले हैं। अल्लाह तआला के यहाँ दोनों की इबादत, ईमान और अच्छे कर्मों की अहमियत समान है, और उनके लिए दुनिया और आख़िरत में बेहतर जीवन और इनाम का वादा किया गया है।"

सिमरन:

"तो औरत को आध्यात्मिक दृष्टि से भी मर्द के बराबर अधिकार प्राप्त हैं?"

आमना:

"जी हाँ! इस्लाम में आध्यात्मिक दृष्टि से मर्द और औरत में कोई अंतर नहीं रखा गया। दोनों को अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा प्राप्त करने का बराबर अधिकार दिया गया है। क़ुरआन में कई जगह अल्लाह तआला ने औरतों की आध्यात्मिक महत्ता और उनके लिए इनामों का उल्लेख किया है।"

सिमरन:
"लेकिन क्या इस्लाम में औरत को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए कोई विशेष निर्देश या इबादत का आदेश दिया गया है?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में औरतों के लिए भी नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज जैसी इबादतों का आदेश दिया गया है, जो आध्यात्मिक उन्नति के महत्वपूर्ण साधन हैं। लेकिन इसके अलावा, इस्लाम ने औरत को घर के अंदर भी आध्यात्मिक उन्नति के अवसर प्रदान किए हैं, जैसे बच्चों की परवरिश, परिवार की देखभाल और अच्छे व्यवहार के साथ जीवन बिताना। इन सभी चीज़ों में भी आध्यात्मिक उन्नति है।"

सिमरन:
"यह बहुत दिलचस्प है! तो क्या इस्लाम में औरत को उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वतंत्र चयन का अधिकार दिया गया है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम में औरत को आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूरी आज़ादी प्राप्त है। अल्लाह ने उसे अपनी इबादत, नेक कर्म और अच्छे आचरण की पूरी स्वतंत्रता दी है। औरत को अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, बल्कि इस्लाम में उसका बड़ा स्थान है।"

सिमरन:
"तो यह कहना सही होगा कि इस्लाम में औरत की आध्यात्मिक उन्नति और उसके अधिकारों में कोई अंतर नहीं रखा गया?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में औरत की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर संभव अवसर प्रदान किया गया है, और उसका अधिकार भी सुरक्षित है। अल्लाह ने औरत को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने का पूरा अधिकार दिया है।"

बाईसवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कैफ़े में बैठकर इस्लाम में औरत के राज्यीय राजनीतिक किरदार पर बात कर रही हैं। दोनों की बातचीत में गंभीरता और गहराई महसूस होती है, और सिमरन को इस्लामी समाज में औरत के राजनीतिक किरदार के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता है।

सिमरन:
"आमना, मैं सोच रही थी कि इस्लाम में औरत का राज्य में क्या किरदार है? क्या इस्लाम ने औरत को राजनीति में भाग लेने का अधिकार दिया है?"

आमना:
"यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सिमरन! वास्तविकता यह है कि इस्लाम में औरत का राजनीतिक किरदार बहुत महत्वपूर्ण है और उसे पूरी तरह स्वीकार किया गया है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें, तो हमें कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ औरतों ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई।"

सिमरन:
"मुझे यह जानकर हैरानी हो रही है। लेकिन क्या तुम मुझे कुछ ऐसी मिसालें दे सकती हो जहाँ औरतों ने राज्यीय मामलों में हिस्सा लिया?"

आमना:
"बिल्कुल! सबसे महत्वपूर्ण मिसाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की है। वे न सिर्फ़ एक महान आलिमा थीं, बल्कि उन्होंने जंग-ए-जमल में भी हिस्सा लिया, जो इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे यह साबित होता है कि इस्लाम में औरतों को राजनीतिक मामलों में शामिल होने का अधिकार था।"

सिमरन:
"यह बहुत दिलचस्प है! लेकिन क्या यह अधिकार सिर्फ़ कुछ विशेष परिस्थितियों में था, या इस्लाम में औरत को सामान्य रूप से राजनीति में भाग लेने का अधिकार दिया गया था?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम ने औरत को राज्यीय मामलों में भाग लेने का अधिकार दिया था, बशर्ते वह अपनी सीमाओं और शरई सिद्धांतों के अनुसार कार्य करे। इस्लामी इतिहास में हम देखते हैं कि महिलाओं ने न सिर्फ़ राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल है, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मामले में अपने मशवरे से हज़रत मुहम्मद ﷺकी मार्गदर्शना की, विशेष रूप से सुलह-ए-हुदैबिया के मामले में, जहाँ हज़रत उम्मे सलमा ने अपनी बुद्धि और समझ से बेहतरीन मशवरा दिया। इसी तरह, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कर्बला में एक महान नेतृत्व का प्रदर्शन किया और न सिर्फ़ आध्यात्मिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी अपनी हैसियत को स्पष्ट किया। उनकी बहादुरी और समझ ने मुसलमानों के ईमान और संकल्प को मज़बूत किया।"

सिमरन:
"तो क्या आज भी इस्लाम में औरतों के राज्यीय राजनीतिक किरदार को स्वीकार किया गया है?"

आमना:
"जी हाँ, आज भी इस्लाम में औरतों के राज्यीय और राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ शरई सीमाएँ हैं। इस्लाम औरत को पूरी आज़ादी देता है कि वह अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करे, लेकिन वह अपनी इज़्ज़त और गरिमा को बनाए रखते हुए यह सब करे।"

सिमरन:
"तो क्या इस्लाम में औरतों के नेतृत्व को भी स्वीकार किया जाता है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार औरतों को नेतृत्व करने का अधिकार है, बशर्ते वे अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएँ और इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार रहें। एक बहुत बड़ी मिसाल हज़रत सैय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की है, जिन्होंने जंग-ए-जमल में राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व की भूमिका निभाई और मुसलमानों को एक महत्वपूर्ण युद्ध में नेतृत्व प्रदान किया। इसी तरह हज़रत सैय्यदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कर्बला में मार्गदर्शन की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हुए नेतृत्व किया।"

सिमरन:
"यह बहुत शानदार है! तो यह कहना सही होगा कि इस्लाम में औरत के राजनीतिक अधिकार बहुत व्यापक हैं और उसे राज्यीय मामलों में पूरी भागीदारी का अधिकार दिया गया है?"

आमना:
"जी हाँ, बिल्कुल! इस्लाम में औरत को न सिर्फ़ राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि राज्यीय मामलों में भी पूरा भाग लेने का अधिकार दिया गया है, बशर्ते वह शरई सीमाओं में रहकर अपने अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को पूरा करे।"

तेइसवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक खूबसूरत बाग़ में बैठकर इस्लाम में औरत के पारिवारिक अधिकारों पर बात कर रही हैं। सिमरन के मन में सवाल हैं कि क्या इस्लाम में औरत को अपने पारिवारिक अधिकारों के बारे में पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है या नहीं? आमना इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।

सिमरन:

"आमना, मैंने हमेशा सुना है कि इस्लाम में औरतों के पारिवारिक अधिकार बहुत मज़बूत हैं, लेकिन कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि क्या वास्तव में इस्लाम में औरत को अपने परिवार के अंदर पूरे अधिकार प्राप्त हैं?"

आमना:

"यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सिमरन! इस्लाम में औरतों के पारिवारिक अधिकार न सिर्फ़ स्वीकार किए गए हैं बल्कि उनकी रक्षा भी की गई है। अगर हम क़ुरआन और हदीस को देखें, तो हमें स्पष्ट रूप से औरतों के पारिवारिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है।"

सिमरन:

"यानी क्या औरत को अपने परिवार में अपने अधिकार मिलते हैं? जैसे कि उसकी शादी, उसकी शिक्षा, या उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके फ़ैसले?"

आमना:

"जी हाँ! इस्लाम में औरत को शादी के मामले में पूरा अधिकार दिया गया है। वह अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है और उसे किसी भी फ़ैसले में मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, इस्लाम ने औरतों को विरासत में भी अधिकार दिया है, और वह अपनी जायदाद को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकती है।"

सिमरन:

"मगर क्या औरत को शौहर की ओर से उसके पारिवारिक अधिकारों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होता?"

आमना:
"इस्लाम में औरत को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने शौहर के साथ उचित संबंध स्थापित करे, लेकिन यह संबंध समानता और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। शौहर को भी अपनी बीवी के अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

'وَلِلنِّسَاءِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ'(सूरह अल-बक़रह 228)

"और औरतों के लिए वैसे ही अधिकार हैं जैसे मर्दों के लिए हैं, मगर मर्दों को औरतों पर एक दर्जा अधिक है।"

इसका मतलब यह है कि मर्द और औरत की ज़िम्मेदारियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके अधिकारों में कोई कमी नहीं है। मर्द को परिवार की आर्थिक ज़िम्मेदारी और बाहरी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि औरत के अधिकारों को कमतर समझा जाए। इस्लाम में दोनों की अहमियत बराबर है, और दोनों की ज़िम्मेदारियाँ एक-दूसरे के साथ सम्मान और संतुलन के तहत हैं।"

सिमरन:
"तो इसका मतलब यह है कि औरत को अपनी मर्ज़ी के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन कुछ शरई सीमाएँ भी हैं?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में औरत को उसकी आज़ादी दी गई है, लेकिन यह आज़ादी शरई सिद्धांतों और सामाजिक नियमों के अनुसार होनी चाहिए। इस्लाम में औरत के पारिवारिक अधिकारों की रक्षा इस बात पर निर्भर है कि वह अपनी सीमाओं में रहकर उन अधिकारों का उपयोग करे।"

सिमरन:
"यह बहुत दिलचस्प है! क्या इस्लाम ने औरत को अपने बच्चों की परवरिश में भी महत्व दिया है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम ने औरत को बच्चों की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसालें हमें यह बताती हैं कि इस्लाम में औरत को न सिर्फ़ पारिवारिक अधिकार मिले हैं, बल्कि उसके पास अपने बच्चों की

परवरिश का अधिकार भी है। इस्लाम ने औरत को माँ के स्थान पर बहुत अधिक सम्मान दिया है, और क़ुरआन में कहा गया है:

'وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ' (सूरह लुक़मान: 14)

"और हमने इंसान को उसके माता-पिता के बारे में नसीहत की। उसकी माँ ने उसे कमजोरी पर कमजोरी के साथ गर्भ में रखा, और उसका दूध पीना और उसकी परवरिश दो वर्षों में पूरी होती है। (उसे आदेश दिया गया:) तुम मेरा और अपने माता-पिता का शुक्र अदा करो, और मेरी ही ओर तुम्हें लौटकर आना है।"

इसका मतलब है कि माँ के लिए उसके बच्चों की परवरिश अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अल्लाह तआला ने उसकी महानता और महत्व को स्पष्ट किया है।"

यह आयत माँ की अहमियत को स्पष्ट करती है और इस बात को सिद्ध करती है कि इस्लाम में माँ को बहुत अधिक सम्मान दिया गया है, विशेष रूप से बच्चों की परवरिश में उसके किरदार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।

सिमरन:
"यानी इस्लाम में औरत को बच्चों की परवरिश का अधिकार दिया गया है, और वह अपने परिवार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में औरत का पारिवारिक किरदार बहुत महत्वपूर्ण है, और उसे न सिर्फ़ परिवार की बुनियाद समझा जाता है बल्कि उसकी परवरिश और किरदार की वजह से पूरे समाज की बुनियाद भी मज़बूत होती है।"

चौबीसवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक खूबसूरत पार्क में चलते हुए औरत के सुरक्षा के अधिकार और उसके संरक्षण पर बात कर रही हैं। सिमरन के मन में एक सवाल है कि क्या इस्लाम ने औरत को हिंसा से बचाने के लिए कोई विशेष क़ानून या उपाय प्रदान किए हैं?

सिमरन:
"आमना, मुझे यह समझने में कठिनाई होती है कि क्या इस्लाम ने औरतों के लिए कोई विशेष उपाय रखे हैं ताकि वे हिंसा या अत्याचार से बच सकें?"

आमना:
"सिमरन, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है! इस्लाम ने औरतों के संरक्षण के संबंध में बहुत स्पष्ट सिद्धांत और क़ानून निर्धारित किए हैं। क़ुरआन और हदीस में हमें कई जगह औरत की सुरक्षा के निर्देश मिलते हैं।"

सिमरन:
"यह वास्तव में दिलचस्प है! क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस्लाम में औरत की सुरक्षा के लिए कौन से विशेष उपाय हैं?"

आमना:
"सबसे पहले तो यह बात ध्यान में रखो कि इस्लाम में औरत का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। क़ुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

'وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ'(सूरह अन-निसा: 19)

जिसका अर्थ है कि मर्दों को औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना आवश्यक है।"

सिमरन:
"तो क्या इसका मतलब यह है कि इस्लाम में औरतों पर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा की अनुमति नहीं है। इस

बात को और स्पष्ट करने के लिए, क़ुरआन में मर्दों को अपनी बीवियों के साथ अच्छे व्यवहार की हिदायत दी गई है। इसलिए फ़रमाया गया:

'وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ'(सूरह अन-निसा: 19)

जिसका अर्थ है कि मर्दों को औरतों के साथ अच्छे आचरण और व्यवहार के साथ पेश आना चाहिए।"

सिमरन:
"यह तो बहुत अच्छी बात है! लेकिन अगर किसी औरत को अत्याचार का सामना हो, तो इस्लाम ने उसके लिए क्या तरीका बताया है?"

आमना:
"इस्लाम में किसी भी प्रकार के अत्याचार या हिंसा का मुकाबला करने के लिए अनेक उपाय हैं। एक तो यह कि औरत को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और यदि उसे किसी प्रकार की हिंसा या अत्याचार का सामना हो, तो वह उसका विरोध कर सकती है और कानूनी तरीका अपना सकती है।"

सिमरन:
"तो क्या इस्लाम में औरत को अपनी सुरक्षा के लिए मदद लेने का अधिकार है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम में औरत को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है। अगर कोई औरत अत्याचार का शिकार हो रही है, तो इस्लाम में उसके लिए न्याय प्राप्त करने के तरीके मौजूद हैं। नबी करीम ﷺने फ़रमाया:

"مَنْ رَءَاَ مِنكُمْ مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ" (सहीह मुस्लिम)

"तुम में से जो व्यक्ति अत्याचार को देखे, वह उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे; यदि वह ऐसा न कर सके तो अपनी ज़बान से, और यदि यह भी न कर सके तो दिल में उसे बुरा जाने, और यह ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है।"

यह हदीस हमें बताती है कि अत्याचार के ख़िलाफ़ खड़ा होना न सिर्फ़ जायज़ है, बल्कि यह ईमान का हिस्सा है। और इसमें यह भी उल्लेख है कि यदि किसी मर्द या औरत को शारीरिक

या मानसिक रूप से अत्याचार का सामना हो, तो उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना आवश्यक है। इस्लाम में अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो इंसान के ईमान का हिस्सा बनाती है।"

सिमरन:
"तो इस्लाम ने औरत को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी स्वतंत्रता दी है?"

आमना:
"जी हाँ, इस्लाम ने औरत को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय प्रदान किए हैं। अगर किसी औरत को हिंसा का सामना हो, तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकती है, और इस्लाम ने उसके लिए स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन प्रदान किया है।"

सिमरन:
"यह तो बहुत अच्छी बात है! मैं हमेशा यह सोचती थी कि शायद इस्लाम में औरत के अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती, मगर अब मुझे समझ आ रहा है कि इस्लाम ने औरत को पूरा संरक्षण प्रदान किया है।"

आमना:
"बिल्कुल सिमरन! इस्लाम में औरत का संरक्षण उसकी इज़्ज़त, उसके अधिकारों और उसकी भलाई के लिए आवश्यक है। इस्लाम ने औरतों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा की है और उनकी इज़्ज़त व सम्मान को बहुत अधिक महत्व दिया है।"

पच्चीसवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कैफ़े में बैठकर औरत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और उसके वित्तीय अधिकारों पर बातचीत कर रही हैं। सिमरन ने सवाल किया कि इस्लाम ने औरत को आर्थिक आत्मनिर्भरता और वित्तीय अधिकारों के संबंध में क्या निर्देश दिए हैं।

सिमरन:

"आमना, मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि इस्लाम में औरत को आर्थिक आत्मनिर्भरता के संबंध में क्या अधिकार दिए गए हैं? क्या औरत को अपने वित्तीय मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त है?"

आमना:

"यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सिमरन! इस्लाम में औरत को आर्थिक रूप से स्वायत्त होने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है कि वह अपनी जायदाद और धन पर पूरा अधिकार रखती है, और वह जो चाहे खरीदने या बेचने के लिए स्वतंत्र है।"

सिमरन:

"यानी वह अपनी कमाई को अपने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल कर सकती है?"

आमना:

"जी हाँ! इस्लाम में औरत की कमाई और जायदाद पर पूरा अधिकार है। क़ुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

'وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا' (सूरह अन-निसा: 32)

"और जिस चीज़ में अल्लाह ने तुममें से कुछ को कुछ पर श्रेष्ठता दी है, उसकी इच्छा मत करो। मर्दों के लिए उनकी कमाई का हिस्सा है और औरतों के लिए उनकी कमाई का हिस्सा है, और अल्लाह से उसका अनुग्रह माँगो। निस्संदेह अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है।"

यानी औरत जो कुछ भी कमाती है, वह उसका अपना है, और किसी को भी उस पर नियंत्रण पाने का अधिकार नहीं। इस आयत से यह स्पष्ट है कि मर्दों और औरतों के बीच संपत्ति और कमाई में कोई भेदभाव नहीं किया गया, दोनों को अपने माल पर पूरा अधिकार प्राप्त है।"

सिमरन:
"यह तो बहुत अच्छा है! लेकिन क्या इस्लाम ने औरत को उसके वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष उपाय रखे हैं?"

आमना:
"बिल्कुल! इस्लाम में औरत को उसके वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए स्पष्ट क़ानून हैं। उदाहरण के तौर पर, निकाह के समय मर्द को औरत को मेहर देना आवश्यक है, और यह मेहर औरत का व्यक्तिगत माल होता है, जो किसी दूसरे के लिए हस्तांतरणीय नहीं होता।"

सिमरन:
"मतलब यह कि औरत को उसकी शादी में एक वित्तीय अधिकार दिया जाता है, जो सिर्फ़ उसका अपना होता है?"

आमना:
"बिल्कुल! मेहर औरत का अधिकार है, और यह उसका व्यक्तिगत माल होता है, जो उसे शादी के समय मिलता है। इसी तरह, इस्लाम में औरत को अपनी विरासत का भी अधिकार दिया गया है, और वह उसकी अपनी जायदाद होती है, जिसे वह अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकती है।"

सिमरन:
"तो क्या इस्लाम में औरत को व्यापार या किसी दूसरे काम में भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त है?"

आमना:
"जी हाँ! इस्लाम ने औरत को आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए पूरी स्वतंत्रता दी है। अगर वह चाहे तो व्यापार कर सकती है, नौकरी कर सकती है, या कोई भी काम कर सकती है। और जो कमाई वह प्राप्त करती है, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी अपनी होती है।"

सिमरन:
"यह बहुत दिलचस्प है! यानी औरत को न सिर्फ़ अपने वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त है बल्कि वह आर्थिक रूप से स्वायत्त भी हो सकती है।"

आमना:
"बिल्कुल सिमरन! इस्लाम में औरत की आर्थिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर बहुत ज़ोर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि औरत आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, और उसकी कमाई या जायदाद पर उसका पूरा अधिकार हो।"

सिमरन:
"यह तो वास्तव में प्रभावित करने वाली बात है! मैं हमेशा यह सोचती थी कि शायद इस्लाम में औरतों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती, मगर अब मुझे समझ आ रहा है कि इस्लाम ने औरत के वित्तीय अधिकारों को न सिर्फ़ स्वीकार किया है बल्कि उसकी सुरक्षा भी की है।"

आमना:
"बिल्कुल सिमरन! इस्लाम में औरत के वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा और उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से इस्लाम ने औरत को एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यक्ति के रूप में जीवन जीने का अधिकार दिया है।"

छब्बीसवाँ संवाद

दृश्य

आमना और सिमरन एक कैफ़े में बैठकर औरत के वैवाहिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर बात कर रही हैं। सिमरन ने सवाल किया कि इस्लाम में औरत को शादी के संबंध में क्या अधिकार प्राप्त हैं, और क्या उसे अपनी शादी के फ़ैसले में स्वतंत्रता प्राप्त है?

सिमरन:

"आमना, मैंने हमेशा सुना है कि इस्लाम में शादी के संबंध में औरत पर बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं। क्या यह सच है? और क्या इस्लाम में औरत को अपनी शादी में किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है?"

आमना:

"यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सिमरन! सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि इस्लाम में शादी के बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, और औरत को उसमें अपनी रज़ामंदी और अधिकार प्राप्त है।"

सिमरन:

"यानी औरत को अपनी शादी में सहमति का अधिकार है?"

आमना:

"जी हाँ! इस्लाम में शादी के लिए औरत की रज़ामंदी आवश्यक है। कोई भी मर्द किसी औरत से उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं कर सकता। इस संबंध में नबी करीम ﷺने फ़रमाया:

'لا تُنكَحُ الأيِمُ حتَّى تُستَأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستَأذَنَ'(सहीह अल-बुख़ारी: 5136)

'विधवा का निकाह करने से पहले उसकी अनुमति ली जाए, और कुंवारी लड़की से भी उसकी अनुमति ली जाए।'

इस हदीस से यह स्पष्ट होता है कि औरत को अपनी शादी में पूरा अधिकार है, और उसकी रज़ामंदी के बिना कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता।"

सिमरन:

"यह तो बहुत अच्छी बात है! तो क्या इसका मतलब यह है कि औरत को अपनी पसंद का शौहर चुनने का अधिकार भी है?"

आमना:

"जी हाँ! औरत को अपनी पसंद के शौहर को चुनने का अधिकार है। इस्लाम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी लड़की को उसके पिता या किसी अन्य रिश्तेदार की ओर से किसी मर्द से शादी करने पर आपत्ति हो, तो उसकी रज़ामंदी को महत्व दिया जाएगा।"

सिमरन:

"तो क्या औरत के पिता या अन्य रिश्तेदार उसकी शादी के फ़ैसले में उसकी रज़ामंदी के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकते?"

आमना:

"बिल्कुल! इस्लाम में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि शादी में औरत की रज़ामंदी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी औरत की रज़ामंदी के बिना उसकी शादी कर दी जाए, तो उसे उस शादी को समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है।"

सिमरन:

"यानी इस्लाम में औरत के पास यह अधिकार है कि वह अपने जीवनसाथी का चयन करे?"

आमना:

"जी हाँ! इस्लाम ने औरत को यह पूरा अधिकार दिया है कि वह अपनी शादी के फ़ैसले में स्वतंत्र हो। उसका चयन और उसकी रज़ामंदी सबसे महत्वपूर्ण है।"

सिमरन:

"यह तो बहुत दिलचस्प बात है! मैं हमेशा यह समझती थी कि इस्लाम में औरतों को अपनी शादी के बारे में कोई अधिकार नहीं होता, मगर अब मुझे यह बात समझ आ रही है कि इस्लाम ने औरत के वैवाहिक अधिकारों की रक्षा की है और उसके चयन में स्वतंत्रता दी है।"

आमना:

"बिल्कुल सिमरन! इस्लाम में औरत के वैवाहिक अधिकारों को बहुत महत्व दिया गया है, और उसके फ़ैसलों में उसकी रज़ामंदी और स्वतंत्र चयन का सम्मान किया गया है।"

सत्ताईसवाँ संवाद

दृश्य

सिमरन और आमना एक कैफ़े में बैठकर चाय पी रही हैं। बातचीत के दौरान, सिमरन के मन में एक सवाल आता है, जिसे वह आमना से साझा करती है।

सिमरन: “आमना, मैंने सुना है कि मुस्लिम पुरुष किसी अहले किताब (यहूदी या ईसाई) औरत से शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम औरत को किसी गैर-मुस्लिम पुरुष से शादी करने की अनुमति नहीं है। क्या यह सही है? और अगर हाँ, तो क्या यह औरत के अधिकारों का उल्लंघन नहीं?”

आमना: “तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। इस्लाम में निकाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि एक पवित्र रिश्ता और ज़िम्मेदारी है, जो पति-पत्नी को ज़िंदगी के हर पहलू में एक-दूसरे का मददगार बनने की प्रेरणा देता है। निकाह में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि दोनों व्यक्तियों के अक़ीदे और मूल्यों में सामंजस्य हो, क्योंकि यही सामंजस्य एक मज़बूत पारिवारिक व्यवस्था की नींव रखता है।”

सिमरन: “मगर एक मुसलमान पुरुष को अहले किताब औरत से शादी की अनुमति क्यों दी गई, और मुसलमान औरत को क्यों नहीं?”

आमना: “यह अंतर दरअसल पारिवारिक व्यवस्था और धार्मिक प्रभावों की वजह से है। अगर कोई मुसलमान पुरुष किसी अहले किताब औरत से शादी करे, तो चूँकि घर का मुखिया पति होता है, इसलिए उसका प्रभाव अधिक प्रमुख होता है। इस्लाम यह सुनिश्चित करता है कि संतान इस्लामी शिक्षाओं में परवरिश पाए और दीन की पहचान बरकरार रहे। दूसरी तरफ, अगर एक मुस्लिम औरत किसी गैर-मुस्लिम पुरुष से शादी करे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह अपने धर्म पर स्वतंत्रता के साथ अमल कर सकेगी या उसकी संतान इस्लामी शिक्षाओं पर परवरिश पाएगी।”

सिमरन: “लेकिन यह तो पुरुष को अधिक अधिकार देने जैसा लगता है?”

आमना: “नहीं, यह पुरुष को अधिक अधिकार देने की बात नहीं, बल्कि सामाजिक वास्तविकता पर आधारित है। शादी के बाद एक औरत का अपने पति के घर में अधिक समय बिताना और

पति के प्रभाव में आना एक स्वाभाविक बात है। इस्लाम केवल इसी आधार पर नियम निर्धारित करता है कि कौन-सी व्यवस्था बेहतर परिणाम पैदा करेगी और औरत की दीन और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।"

सिमरन: "लेकिन अगर एक मुस्लिम औरत किसी गैर-मुस्लिम पुरुष से शादी करना चाहे, तो क्या उसका कोई समाधान नहीं?"

आमना: "नहीं, क्योंकि इस्लाम में मूल सिद्धांत यह है कि शादी वहीं सफल होगी जहाँ वैचारिक और धार्मिक सामंजस्य हो। अगर कोई गैर-मुस्लिम पुरुष इस्लाम स्वीकार कर ले, तो फिर कोई समस्या नहीं, क्योंकि उस स्थिति में दोनों के अक़ीदे एक होंगे और उनके बीच जीवन गुज़ारने के सिद्धांत भी समान होंगे।"

सिमरन: "यानि, इस्लाम दरअसल इस बात की रक्षा करता है कि शादी केवल प्रेम की बुनियाद पर न हो, बल्कि वैचारिक सामंजस्य और धार्मिक सिद्धांतों की बुनियाद पर हो?"

आमना: "बिल्कुल! शादी केवल एक अस्थायी संबंध नहीं, बल्कि पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला रिश्ता है। इस्लाम चाहता है कि शादी ऐसी बुनियाद पर हो, जहाँ दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के धार्मिक और नैतिक सफर में मददगार बनें, न कि एक-दूसरे के लिए रुकावट।"

सिमरन: "अब मैं समझ गई कि यह औरत के खिलाफ कोई अन्याय नहीं, बल्कि परिवार और पीढ़ियों की भलाई के लिए एक हिकमत है।"

आमना: "बिल्कुल, और यही इस्लामी शिक्षाओं की खूबसूरती है कि वे केवल भावनाओं ही नहीं, बल्कि वास्तविकता पर भी नज़र रखती हैं।"

परिशिष्ट

इस्लामी इतिहास की वे महिलाएँ जिन्होंने अधिकारों से वंचित दौर में ज्ञान, राजनीति, युद्ध और वैज्ञानिक अनुसंधान में उल्लेखनीय भूमिका निभाई

ये वे महिलाएँ हैं जिन्हें इस्लाम ने वे अधिकार और सम्मान दिए, जो उस समय दुनिया के अन्य हिस्सों में महिलाओं को प्राप्त नहीं थे। इन महिलाओं ने इस्लाम द्वारा दिए गए अधिकारों का लाभ उठाया और ज्ञान, राजनीति, युद्ध तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में स्वयं को स्थापित किया। ये महिलाएँ अपनी योग्यता, साहस और नेतृत्व के माध्यम से इस्लामी इतिहास में एक उज्ज्वल उदाहरण स्थापित करने में सफल रहीं।

1. ज्ञान और फ़िक़्ह में प्रमुख महिलाएँ:

1. **हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा** - नबी करीम ﷺकी सम्मानित पत्नी और सबसे बड़ी हदीस की राविया, जिन्हें इस्लाम ने ज्ञान के लिए व्यापक अवसर प्रदान किए और वे फ़िक़्ह व हदीस में विशेषज्ञ बनीं।
2. **लबना अल-कुर्तुबिया** - कुर्तुबा की प्रसिद्ध आलिमा, अनुवादक और गणितज्ञ, जिन्हें इस्लाम ने ज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भाग लेने का पूरा अधिकार दिया।
3. **आयशा बिन्त यूसुफ अल-बाऊनिया** - शाम की सूफ़ी कवयित्री और आलिमा, जो इस्लामी शिक्षाओं के अंतर्गत ज्ञान और साहित्य में दक्षता प्राप्त कर सकीं।
4. **राबिया बसरी** - प्रसिद्ध सूफ़िया, जिन्हें इस्लाम ने ज़ुहद और तसव्वुफ़ के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए।
5. **फ़ातिमा बिन्त क़ैस** - महान सहाबिया, जो फ़िक़्ह और हदीस में दक्ष थीं, और उन्हें इस्लामी समाज में ज्ञान प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार दिया गया।

2. राजनीति और शासन में प्रमुख महिलाएँ:

1. **हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा** - उन्होंने जंगे जमल में नेतृत्व की भूमिका निभाई, इस्लाम ने महिलाओं को भी राजनीति में भाग लेने का अधिकार दिया।

2. **मलिका ज़ुबैदा बिन्त जाफ़र** - अब्बासी ख़लीफ़ा हारून अल-रशीद की पत्नी, जिन्होंने “ऐन ज़ुबैदा” नहर बनवाई, और इस्लाम ने उन्हें सरकारी मामलों में परामर्श और निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी।
3. **शजरुद्दुर्र** - मिस्र की ममलूक सल्तनत की संस्थापक और शासक, जिन्हें इस्लामी समाज में महिलाओं के लिए नेतृत्व के क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति थी।
4. **सुल्ताना रज़िया** - दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक, जिन्हें इस्लाम के अंतर्गत शासन के अधिकार मिले और वे पुरुषों के साथ सरकारी मामलों में सहभागी रहीं।
5. **ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा** - नबी करीम ﷺकी पहली पत्नी और सफल व्यापारी, जिन्हें इस्लाम ने आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में स्वतंत्रता दी और वे अपने व्यापार में सफल रहीं।

3. युद्ध और वीरता में प्रमुख महिलाएँ:

1. **हज़रत नुसैबा बिन्त काब (उम्मे अम्मारा) रज़ियल्लाहु अन्हा** - जंगे उहुद में नबी करीम ﷺकी रक्षा की और अन्य ग़ज़वात में भी भाग लिया, इस्लाम ने महिलाओं को युद्ध के मैदान में वीरता दिखाने का अवसर दिया।
2. **सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा** - नबी करीम ﷺकी फूफी, जिन्होंने युद्ध के दौरान मदीना की रक्षा की, और इस्लाम में महिलाओं को रक्षात्मक मामलों में शामिल होने का अधिकार दिया गया।
3. **ख़ंसा बिन्त अम्र** - अरब की प्रसिद्ध कवयित्री, जिनके बेटों ने जंगे क़ादसिया में शहादत पाई, और इस्लाम ने उन्हें युद्ध के क्षेत्र में भाग लेने की स्वतंत्रता दी।

4. विज्ञान और चिकित्सा में प्रमुख महिलाएँ:

1. **शिफ़ा बिन्त अब्दुल्लाह अदविया रज़ियल्लाहु अन्हा** - प्रारंभिक मुस्लिम चिकित्सक और शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, जिन्हें इस्लाम ने चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएँ देने का अवसर दिया।
2. **मरियम अल-अस्तुरलाबी** - दसवीं शताब्दी की मुस्लिम महिला, जिन्होंने अस्तुरलाब (खगोलीय यंत्र) के निर्माण और विकास में भूमिका निभाई, और इस्लाम ने महिलाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान में भाग लेने का पूरा अधिकार दिया।

3. **फ़ातिमा अल-फ़िहरी** - जामिआ अल-क़रविय्यीन की संस्थापक, जो दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, और इस्लाम ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने का पूरा अवसर दिया।

5. साहित्य और कविता में प्रमुख महिलाएँ:

1. **ख़ंसा बिन्त अम्र** - अरब की प्रसिद्ध कवयित्री, जिनकी कविता की नबी करीम ﷺने प्रशंसा की, और इस्लाम ने महिलाओं को साहित्य और कविता के क्षेत्र में सफल होने का पूरा अधिकार दिया।
2. **आयशा बिन्त यूसुफ अल-बाऊनिया** - सूफ़ी कवयित्री, जिन्होंने कई ज्ञानवर्धक और साहित्यिक पुस्तकें लिखीं, और इस्लाम ने इन महिलाओं को अपनी रचनात्मक क्षमताओं को प्रकट करने का पूरा अवसर दिया।
3. **ज़ैनब अल-ग़ज़ाली** - बीसवीं शताब्दी की मिस्री इस्लामी चिंतक और लेखिका, जिन्हें इस्लाम ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया।

ये महिलाएँ इस्लामी समाज में दिए गए अधिकारों की बदौलत विभिन्न क्षेत्रों में सफल हुईं और उनके कार्य आज भी एक उज्ज्वल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस्लाम ने उन्हें ज्ञान, राजनीति, युद्ध, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्रों में सक्रिय होने का पूरा अधिकार दिया, और यही कारण है कि ये महिलाएँ अपने समय में न केवल अपने समाज का मार्गदर्शन कर सकीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनका प्रभाव और प्रतिष्ठा रही।

समाप्त